बुनियादी शिक्षा

एक नई कोशिश

अंक—14

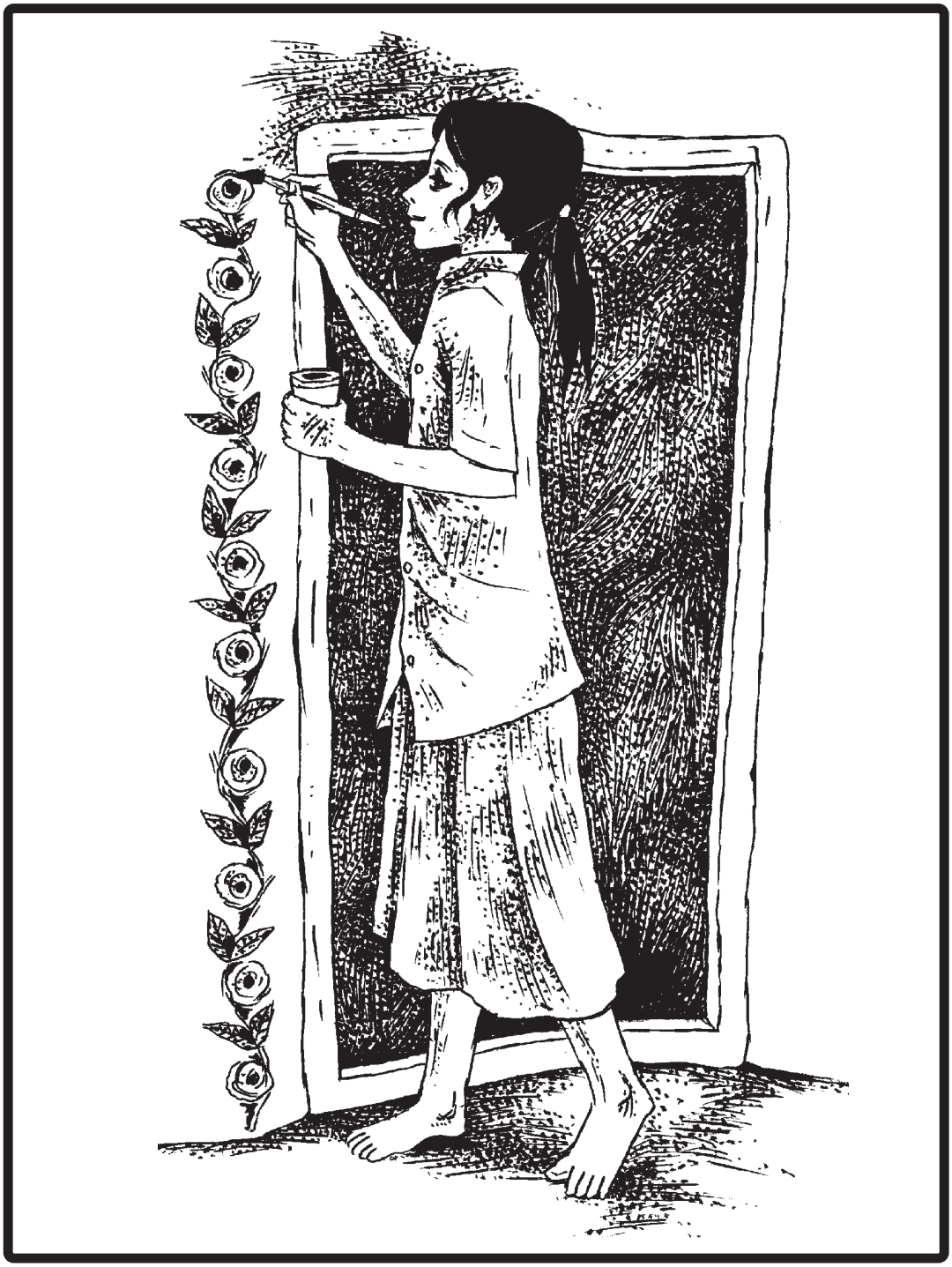

अंक–15

परामर्श
हृदयकांत दीवान
सुदर्शन आयंगार

संपादक
के. आर. शर्मा

सलाहकार
भागचन्द्र कुमावत
प्रवीण भाई डाभी
भरत भाई जोशी
सुधा भण्डारी

चित्रांकन
प्रशांत सोनी

कम्प्यूटर सेटिंग
इसरार अहमद

टंकन
प्रेम सिंह झाला

संपादकीय पता
विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केंद्र
फतहपुरा, मोहनसिंह मेहता मार्ग
उदयपुर (राज.) 313 004
फोन : (0294) 2451497
Email : vbsudr@yahoo.com

इस अंक में

चिट्ठी पत्री
चिट्ठी
संपादकीय
मुद्दा
मुद्दा शिक्षा विचार को मुख्य धारा में लाने का
हृदयकान्त दीवान
हिन्दी की आज की स्थिति
सुदर्शन आयंगार
मातृ भाषा में शिक्षा : कुछ सवाल
विजय एस. वर्मा
गुम होती बोलियां
साधना सक्सेना
कौन भाषा, कौल बोली?
रमाकांत अग्निहोत्री
..... तो मां नन्हें बच्चे को किस भाषा में डांटेगी?
अशोक बोहरा
गांधी जी और शिक्षा में भाषा–नीति
रामशकल पाण्डेय
मातृ भाषा में शिक्षण
महेश कुमार पी. रावल
शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य
भाग चन्द्र कुमावत
करके सीखना–आयोजन एक मेले का
वि.वि. सिंह
पुस्तक समीक्षा
ज्ञान का निर्माण
के. आर. शर्मा
बुनियादी शिक्षा (कविता)
नियती अय्यर

सहयोग राशि : 15 रूपए

सौजन्य : सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई एवं राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् (NCRI) हैदराबाद

चिट्ठी-पत्री

आप के द्वारा भेजा हुआ 'बुनियादी शिक्षाः एक नई कोशिश पत्रिका' का 13वां अंक मिला। यह अंक पढ़कर बहुत खुशी हुई। आपका प्रयास सराहनीय है। विद्या भवन सोसायटी के द्वारा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका यह कार्य शिक्षा जगत में नई राह दिखाएगा।
आपकी संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ।

महेश पी रावल
हिन्दी शिक्षक महाविद्यालय
गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद–14 (गुजरात)

बुनियादी शिक्षा के बारे में पत्रिका देखने का अवसर मिला। सही अर्थों में आज देश को बुनियादी शिक्षा की जरूरत है। विद्या भवन सोसायटी उदयपुर से बुनियादी शिक्षा को लेकर जो पत्रिका प्रकाशित की जा रही है, वो आज के हालातों के माकूल हैं। पिछले अंक में चरखे का संदेश लेख काफी रोचक लगा।

आनंद दीक्षित
बनियावाड़ी धार म.प्र.

आपके द्वारा भेजी गई कार्य पुस्तक 'कुछ करें' मिली। मैं पूरी पढ़ गया। उसको तैयार करने वाले सभी साथियों को धन्यवाद। बहुत अच्छी किताब बनी है। खूब बारिकी से काम किया है। पूरी किताब शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक है। इसकी विशेषता यह है कि जो अपेक्षा नई तालीम में गांधी जी ने की थी, जिसमें उद्योग क्रिया हो ये बातें इसमें शामिल हैं। नई तालीम में सिर्फ शारीरिक श्रम ही नहीं रहे किन्तु हरेक क्रिया में से ज्ञान का निर्माण भी हो। उसी का नाम समवाय शिक्षा है। यह किताब समवाय शिक्षा का एक बढ़िया नमूना है। काश, हमारे शिक्षक इसके मुताबिक काम करें तो काम से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। यह अनुबन्ध की कला है। यह कला इस किताब में अच्छी तरह प्रकट हुई है। फिर से आपको व आपके साथियों को धन्यवाद।

सुमति एवं गोविन्द भाई रावल
विश्व मंगलम अनेरा, जिला साबरकांठा
गुजरात

आपके द्वारा प्रेषित 'बुनियादी शिक्षा' पत्रिका का 13वां अंक प्राप्त कर आद्योपांत पढ़ने का अवसर मिला। आपके प्रयास स्तुत्य है। भारत को विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए सभी को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। गांधी एवं उनकी दार्शनिक–शैक्षिक विचारधारा आज के संदर्भ में अत्यन्त प्रासंगिक है। मूल्यह्रास समाज की गिरावट का एक प्रमुख संदर्भ है। आपकी पत्रिका समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान हेतु एक प्रशंसनीय प्रयास है। बधाई। कोशिश रहेगी कि समय निकालकर मैं भी इस पत्रिका के लिए कुछ लिखूं। पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं।

गोपीनाथ शर्मा
प्रोफेसर एवं डीन
राज. संस्कृत विश्वविद्यालय
भदाऊ, पो. भाकरोटा, जयपुर

भूल सुधार : बुनियादी शिक्षा के अंक 13 में 'चरखे का संदेश' भारत ज्ञान–विज्ञान समिति से साभार किया था। गलती से भारत ज्ञान विज्ञान समिति के स्थान पर भारत जन विज्ञान समिति छप गया था।

संपादकीय

ज़रूरत है एक जुट होने की

पिछले कुछ समय से बुनियादी शिक्षा को आज के संदर्भ में पुनर्भाषित कर पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 11–12 मार्च 2006 को विद्या भवन उदयपुर में और हाल ही में गूजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में आयोजित सेमीनार में बुनियादी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जमकर चर्चा हुई है। क्या कारण रहे हैं जिनकी वज़ह से बुनियादी शिक्षा हाशिए पर चली गई? हम बुनियादी शिक्षा को जीवंत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इन सवालों के जवाब भले ही हमें तुरंत नहीं मिल पाएं मगर ये सवाल पैने रूप से उभरकर सामने आए हैं।

विद्या भवन बुनियादी विद्यालय रामगिरि, उदयपुर ,गांधी जी के बुनियादी शिक्षा दर्शन के सर्वकालिक महत्व व मूल्य को देखते हुए विगत् 10 सालों से इस प्रयास में लगा हुआ है कि आज के संदर्भ में बुनियादी शिक्षा को फिर से कैसे अपनाया जाए? साथ ही हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि देश भर की बुनियादी शिक्षा की संस्थाओं को कैसे आपस में जोड़ा जाए? गूजरात विद्यापीठ में बुनियादी शिक्षा की समीक्षा और उसके सशक्तीकरण विषय पर आयोजित सेमीनार में भी यही विचार प्रखर रूप से उभरा कि देश भर में जहां–जहां भी बुनियादी तालीम की संस्थाएं हैं उनकी पहचान कर उनको सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए? इस लिहाज़ से विद्या भवन सोसायटी और गूजरात विद्यापीठ ने संयुक्त रूप से देश भर की बुनियादी शिक्षा की संस्थाओं की स्थिति को जानने का काम हाथ में लिया है।

इस अंक में गूजरात विद्यापीठ में आयोजित सेमीनार का ब्यौरा और साथ ही देश में स्थित बुनियादी शिक्षा की संस्थाओं से जानकारी एकत्र करने संबंधी हम एक प्रपत्र प्रकाशित कर रहे हैं। यद्यपि यह प्रपत्र देश भर में काम कर रही संस्थाओं को अलग से भेजा जा रहा हैं। फिर भी यदि किन्हीं कारणों से आपको न मिले तो इस पत्रिका में प्रकाशित प्रपत्र को भरकर भेजा जा सकता है। चाहें तो इस प्रपत्र की फोटोकॉपी भी करवाई जा सकती है। देश भर में कार्यरत बुनियादी शिक्षा के साथियों से आग्रह है कि वे इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। बुनियादी शिक्षा को पुनःस्थापित करने का काम तभी संभव हो सकेगा जब बुनियादी शिक्षा से जुड़े साथी एक जुट हों और पूर्वाग्रहों और प्रचलित मान्यताओं को दरकिनार कर आज के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से सोचें।

उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास देश भर के नक्शे पर बुनियादी शिक्षा की वर्तमान स्थिति की एक तस्वीर होगी। और हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकेंगे।

संपादक

हिंद स्वराज से

शिक्षा कैसी हो?

हिंद स्वराज गांधी जी की मूलभूत कृति है। गांधी जी इस नन्हीं सी पुस्तक के द्वारा अपना संदेश दुनिया को देते हैं। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के दोष तथा खतरे बतलाकर गांधी जी एक नया दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता पर तीखा प्रहार करते हुए गांधी जी इसे पाशविक और शैतानी कहते हैं। यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली तथा खुद नाशवान है। इसे पूरी ताकत से खदेड़ देने की सिफारिश करते हुए गांधी जी सच्ची सभ्यता के लक्षण बतलाते हुए तथा उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन अर्पण करने की घोषणा करते हैं। गांधी जी का आदर्श, वैकल्पिक समाज शोषण मुक्त होगा। चूंकि गांधी जी भारत के संदर्भ में लिख रहे थे, अतः इसे उन्होंने ''हिंद स्वराज'' नाम दिया।

दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होने वाले अपने साप्ताहिक इंडियन ओपीनियन में 1909 में सर्वप्रथम गांधी जी ने इसे क्रमशः छापा था। इसके बाद यह पुस्तक के आकार में प्रकाशित की गईं। गांधी जी कहते हैं यह किताब ऐसी है कि बालकों के हाथों में भी दी जा सकती है। यह द्वैषधर्म की जगह प्रेमधर्म सिखाती है। हिंसा की जगह आत्म–बलिदान को रखती है। पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है।

गांधी जी ने हिंद स्वराज को प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा है। इसमें पाठक कोई सवाल पूछता है और उसके जवाब गांधी जी अपने तजूर्बे के आधार पर देते हैं। गांधी जी ने इस पुस्तक के माध्यम से शिक्षा को लेकर भी गहरी टिप्पणी की है। शिक्षा कैसी हो? शिक्षा ऐसी हो जो अपनी ज़मीन से जुड़े, समझ पर आधारित हो और उसे मातृभाषा में दी जाए। दरअसल उनने शिक्षा के बारे में जो बातें हिंद स्वराज में कही उनको ज़मीनी धरातल पर भी उतारा। गांधी जी ने डॉक्टर, वकील और रेल व्यवस्था पर भी काफी सटीक टिप्पणी की है। देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक मसलों पर काफी जोरदार प्रहार करते हुए उनके हल की ओर ध्यान खींचा है। हिंद स्वराज आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक दस्तावेज है जितना पहले था। यहां हम हिंद स्वराज से केवल शिक्षा पर उनके विचारों को हुबहू प्रस्तुत कर रहे हैं।

पाठकः आपने इतना सारा कहा, परन्तु उसमें कहीं भी शिक्षा– तालीम की ज़रूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लाज़िमी तालीम देने का आन्दोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने (अपने राज्य में) लाज़िमी शिक्षा शुरू की है। उसकी ओर सबका ध्यान गया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझनी चाहिए?

संपादकः अगर हम अपनी सभ्यता (तहज़ीब) को सबसे अच्छी मानते हैं, तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे धुरन्धर (बहुत बड़े) नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका हेतु निर्मल है। इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है, उसे हम छिपा नहीं सकते।

शिक्षा– तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही हो, तो वह तो एक साधन जैसी ही हुई। उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। एक शस्त्र (औज़ार) से चीर–फाड़ करके बीमार को अच्छा किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर–ज्ञान का भी ऐसा ही है। बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में (मुकाबले में) कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो उससे यह साबित होता है कि अक्षर–ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है।

शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर–ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है। उसे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है। अपने मां–बाप के साथ कैसे बरतना, अपनी स्त्री के साथ कैसे बरतना, बच्चों से कैसे पेश आना, जिस देहात में वह बसा हुआ है वहां उसकी चाल–ढाल कैसी होनी चाहिए, इस सबका उसे काफी ज्ञान है। वह नीति के नियम समझता है और उनका पालन करता है। लेकिन वह अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर–ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौनसी बढ़ती करेंगे? क्या उसकी झोपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर–ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने यह बात चलाई है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन उसके बारे में आगे–पीछे की बात सोचते ही नहीं।

अब ऊंची शिक्षा को लें। मैं भूगोल–विद्या सीखा, खगोल–विद्या (आकाश के तारों की विद्या) सीखा, बीजगणित (एलजब्रा) भी मुझे आ गया, रेखागणित (ज्यॉमेट्री) का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूगर्भ–विद्या को भी मैं पी गया। लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौनसा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान (हक्सली) ने शिक्षा के बारे में यों कहा हैः ''उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके बस में रहता है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसकी बुध्दि शुध्द, शांत और न्यायदर्शी (इंसाफ को परखने वाली) है। उसने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इन्द्रियां उसके बस में हैं,

जिसके मन की भावनाएं बिलकुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफ़रत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित (तालीम शुदा) माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा।'' अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहूंगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इन्द्रियों को बस में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या ऊंची शिक्षा को लीजिए, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य (फ़र्ज) नहीं जान सकते।

पाठकः अगर ऐसा ही है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं, वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर–ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती, तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते?

संपादकः आपने अच्छी सुनाई। लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती, तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी करने की इच्छा रखता हूं। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लाता हूं, और उसका उपयोग, अगर वह उपयोग हो तो, मैं अपने करोड़ों भाईयों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े–लिखों के लिए ही कर सकता हूं। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है। मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फंस गए थे। उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूं। अब वह अनुभव मैं आपको देता हूं और उसे देते समय ली हुई शिक्षा का उपयोग करके उसमें रही सड़न मैं आपको दिखाता हूं।

इसके सिवा, आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती खा गए, क्योंकि मैने अक्षर–ज्ञान को (हर हालत में) बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए। वह हमारी कामधेनु (मन चाहा देने वाली गाय) नहीं है। वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है। और वह जगह यह है जब मैंने और आपने अपनी इन्द्रियों को बस में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो, तो उसे पाकर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वह शिक्षा आभूषण (गहना) के तौर पर ही उपयोग हो, तो ऐसी शिक्षा को लाज़िमी करने की हमें ज़रूरत नहीं। हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं। वहां नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है। उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी।

पाठकः तब क्या मेरा यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते?

संपादकः मेरा जवाब 'हां' और 'नहीं' दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मेकॉले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता। लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं?

जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है वह हमारा सिंगार बनती है, यह जानने लायक है। उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं कि उसमें यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है। वे जिसे भूल से गए हैं, उसी से

हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं। इनमें अपनी–अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषा का अब जीर्णोद्धार (उद्धार–फिर से जिंदा करने की कोशिश) हो रहा है।

वेल्स के बच्चे भाषा में ही बोलें, ऐसी कोशिश वहां चल रही है। इसमें इंग्लैंड के खजांची लॉयड जॉर्ज बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है? हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं। एक साधारण एम.ए. पास आदमी भी ऐसी गलत अंग्रेजी से बचा नहीं होता। हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रगट (ज़ाहिर) करने का ज़रिया है अंग्रेजी। हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लम्बे अरसे तक चला, तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप (बद्दुआ) हमारी आत्मा को लगेगा।

आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ (ढोंग), राग (द्वेष), जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा का ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं, तो उसका हम पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा करते हैं।

यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इन्साफ पाना हो, तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में बोल ही नहीं सकता। दूसरे आदमी को मेरे लिए तरजुमा कर देना चाहिए। यह कुछ कम दंभ है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना? हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी, बल्कि हम पर पड़ेगी।

लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा जवाब 'हां' और 'ना' दोनों है। 'हां' कैसे सो मैंने आपको समझाया।

अब 'ना' कैसे यह बताता हूं। हम सभ्यता के रोग में ऐसे फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सकें। ऐसा समय अब नहीं रहा। जिसने वह शिक्षा पाई है, वह उसका अच्छा उपयोग करे। अंग्रेजों के साथ के व्यवहार में, ऐसे हिन्दुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ न सकते हों और अंग्रेज खुद अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं यह समझने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले तो नीति सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा (मादरी ज़बान) सिखानी चाहिए और हिन्दुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बालक जब पुख्ता (पक्की) उम्र के हो जाए तब भले ही वे अंग्रेजी शिक्षा पाएं, और वह भी उसे मिटाने के इरादे से, न कि उसके ज़रिए पैसे कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सोचना होगा। थोड़ा विचार करने से ही हमारी समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बन्द कर दें तो अंग्रेज हाकिम चौंकेंगे।

पाठकः तब कैसी शिक्षा दी जाए?

संपादकः उसका जवाब ऊपर कुछ हद तक आ गया है। फिर भी इस सवाल पर हम और विचार करें। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्ज्वल, शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी

भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए, इसके क्या मानी हैं, इसे ज्यादा समझाने का यह स्थान नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े–लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फ़ारसी का और सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को, पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तरी और पश्चिमी हिन्दुस्तान के लोगों को तामिल सीखनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिन्दु–मुसलमानों के संबंध ठीक रहे, इसलिए बहुत से हिन्दुस्तानियों का इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे।

और यह सब किसके लिए जरूरी है? हम जो गुलाम बन गए हैं उनके लिए हमारी गुलामी की वजह से देश की प्रजा गुलाम बनी है। अगर हम गुलामी से छूट जाएं, तो प्रजा तो छूट ही जाएगी।

पाठकः आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही वह बड़ी कठिन है।

संपादकः फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिन्दुस्तान कभी नास्तिक नहीं बनेगा। हिन्दुस्तान की भूमि में नास्तिक फल–फूल नहीं सकते। बेशक, यह काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल करते ही सिर चकराने लगता है। धर्म के आचार्य दंभी और स्वार्थी मालूम होते हैं। उनके पास पहुंचकर हमें नम्र भाव से उन्हें समझाना होगा। उसकी कुंजी मुल्लों, दस्तूरों और ब्राह्मणों के हाथ में है। लेकिन उनमें अगर सद्‌बुद्धि पैदा न हो, तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हममें जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों को नीति की शिक्षा दे सकते हैं। यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हिन्दुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है। उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ होना है। हम लोग ऐसे ही हैं और खुद ही बहुत कुछ साफ हो सकते हैं। मेरी यह टीका करोड़ों लोगों के बारे में नहीं है। हिन्दुस्तान को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही है। उसमें सुधार, बिगाड़, उन्नति, अवनति, समय के अनुसार होते ही रहेंगे। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सब अपने आप ठीक हो जाएगा।

प्रतिवेदन

नई तालीम : समीक्षा और सशक्तीकरण

राष्ट्रीय परामर्श कार्य शिविर
(20 से 22 दिसम्बर 2006)

♦भरत भाई जोशी
♦महेश नारायण दीक्षित

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (NCRI) के सहयोग से 'भारत में नई तालीम' शिक्षाशास्त्र और अमलीकरण का गांधीयन अध्ययन केन्द्र' के द्वारा 20 से 22 दिसम्बर 2006 के दौरान गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में 'नई तालीम : समीक्षा और सशक्तीकरण' के मुद्दे पर राष्ट्रीय परामर्श कार्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल, केरल एवं गुजरात आदि राज्यों से आए हुए 116 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्य शिविर की सहसंयोजिका सुश्री दीपुबा देवड़ा ने आगंतुक अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्य शिविर के संयोजक प्रवीण भाई डाभी ने कार्य शिविर के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कार्य शिविर के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि हम नई तालीम के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से संबंधित समस्याओं एवं उपलब्धियों से अवगत कराना चाहते हैं।

उद्घाटन समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में जाने माने गांधीवादी शिक्षाविद् मगनभाई जी पटेल ने बुनियादी शिक्षा की संकल्पना को गांधी की महत्वपूर्ण देनों में से एक बताते हुए आज की शिक्षा प्रणाली की दुर्दशा को इंगित कर बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान से चरित्र का निर्माण या फिर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। हमें ज्ञान के साथ काम को जोड़ना होगा तथा श्रम के ज्ञान के साथ काम को जोड़ना होगा। हमें श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। जिसमें निश्चित रूप से नई तालीम कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने नई तालीम को उपेक्षित नजरों से देखने वाली सरकारी नीति की आलोचना करते हुए बुनियादी शिक्षा के संबंधित समस्याओं पर गहन मनन चिंतन की आवश्यकता पर बल दिया।

गूजरात विद्यापीठ के कुलनायक सुदर्शन आयंगर ने अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता 'आजीविका' की समस्या को भी हल करने में असमर्थ है। जो शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर न बना सके वह शिक्षा सर्वथा व्यर्थ है। बुनियादी शिक्षा की सार्थकता इसी में है कि वह कार्य के साथ ज्ञान देकर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। आत्मनिर्भरता मात्र व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संस्थाओं को भी स्व–निर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हमें बुद्धि विलास के लिए नहीं बल्कि बुनियादी समस्याओं के हल के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

सत्र–1

कार्य शिविर के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कनकमल गांधी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में मनसुखभाई सल्ला ने 'नई तालीम के सर्वकालीन तत्व' के संदर्भ में बुनियादी शिक्षा के दोनों पक्षों तत्व–दर्शन एवं व्यवहार को समान महत्व देने की बात की। उन्होंने

बताया कि नई तालीम व्यक्ति के शरीर, बुद्धि एवं हृदय तीनों के समन्वित विकास पर बल देती है। श्रम को शिक्षा के साथ जोड़े जाने की महत्ता को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम करने की भावना मनुष्य को आत्मनिर्भर, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सकारात्मक सोच वाली बनाती है।

प्रथम सत्र के द्वितीय पड़ाव में देश भर से आए हुए विभिन्न बुनियादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपनी–अपनी संस्था के द्वारा बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का वर्णन किया। गूजरात विद्यापीठ के कुलसचिव राजेन्द्र भाई खिमाणी ने बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों की बात की।। उन्होंने अन्न, दूध एवं वस्त्र जैसी प्राथमिक वस्तुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने पर जोर दिया। आपने गूजरात विद्यापीठ द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से भी लोगों को परिचित कराया।

विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर के के. आर.शर्मा ने 'बुनियादी शिक्षा के सशक्तीकरण के हमारे प्रयास' विषय पर बोलते हुए ज्ञान के साथ काम को जोड़ने की वकालत की। आपने लोगों को उद्योगों के भिन्न रूपों से भी परिचित कराया जिसके आधार पर विद्या भवन सोसायटी, राजस्थान में शिक्षण का कार्य किया जा रहा है।

बोधगया बिहार से आए द्वारका प्रसाद सुंदराणी ने 'बोधगया में समन्वय विद्यापीठ का शैक्षणिक प्रयोग' विषय पर बोलते हुए विज्ञान के साथ आत्मज्ञान के समन्वय पर बल दिया। उन्होंने छात्रावास, उद्योग, सफाई एवं आत्मनिर्भरता की भावना को बुनियादी शिक्षा का अनिवार्य अंग बताया।

विज्ञान आश्रम, पाबल महाराष्ट्र के अंकुश काले ने कहा कि बुनियादी विद्यालयों द्वारा बालक को जीविकोपार्जन एवं रोज–बरोज की समस्याओं को हल करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने विज्ञान आश्रम पाबल के द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया।

'टिकाऊ विकास की दिशा में लोक आधारित छात्राशालाओं का प्रयोग' विषय पर बोलते हुए भीखुभाई व्यास ने सामाजिक सहयोग की भावना पर जोर दिया तथा धरमपुर, गुजरात में किए गए कार्यों से सबको अवगत कराया।

माझिहिरा, पश्चिम बंगाल से आए प्रदीप दास गुप्ता ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। आपने बुनियादी शिक्षा की समाज में बनी नकारात्मक छवि, आर्थिक समस्या, समाज द्वारा प्रमाण पत्रों की अपेक्षा, समर्पित स्वयंसेवकों एवं शिक्षकों का अभाव जैसी मूलभूत समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता जताई।

प्रक्षाली देसाई ने झाबुआ के आदिवासी क्षेत्र में 'संपर्क बुनियादी विद्यालय के असर' के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि उनके बुनियादी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक सोच का प्रसार हुआ है। विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। विद्यालय तथा समाज के बीच की दूरी कम हुई है।

अंत में जैसिंग भाई डाभी ने गुजरात में बुनियादी शिक्षा की वर्तमान दशा एवं दिशा के संदर्भ में बात की।

सत्र–2

द्वितीय सत्र के दौरान 'वैकल्पिक शिक्षा के रूप में नई तालीम' विषय पर बोलते हुए भागचन्द्र कुमावत ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्य धारा बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बुनियादी शिक्षा ये समयानुसार परिवर्तन एवं संशोधन करने

की आपने जरूरत बताई। वक्तव्य के पश्चात चर्चा के दौरान शिक्षण महाविद्यालय के भरत जोशी ने बुनियादी शिक्षा को वैकल्पिक शिक्षा कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसकी जगह समान्तर शिक्षा कहे जाने पर बल दिया। इस सत्र की अध्यक्षता विनोबा निकेतन केरल से आए परिव्राजिका ए.के. राजम्मा ने किया।

प्रतिभागियों के विविध प्रस्तावों एवं आगामी कार्यक्रम की रूपरेखाओं के ऊपर सहचिंतन के पश्चात द्वितीय सत्र की समाप्ति की घोषणा की गई। गूजरात विद्यापीठ के छात्र–छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के संयोजक नरेन्द्र महर्षि एवं सह संयोजक के रूप में नरेन्द्र शास्त्री तथा शिक्षण महाविद्यालय की रीडर आरती बहन कस्वेकर ने अपनी भूमिका का बखुबी निर्वहन किया।

सत्र–3

परामर्शन कार्य शिविर के दूसरे दिन तृतीय सत्र का शुभारंभ प्रार्थना से हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता बोधगया बिहार से आए द्वारकाप्रसाद सुन्दराणी ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में गूजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलनायक अरूण भाई दवे ने 'ग्रामाभिमुख उच्च शिक्षा का लक्ष्य और उसके संदर्भ में पाठ्यचर्या का पुर्नगठन' विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए आज के दौर में चल रहे ग्राम विद्यापीठों की भूमिका पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि गांवों में विद्यापीठों की स्थापना कर देने मात्र से ग्रामोद्धार या ग्राम विकास नहीं हो सकता। अपितु गांव का विकास गांवों की जरूरतों के हिसाब से कार्य करने से होगा। आपने माननीय राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के 'दृष्टिपथ' के अनुसार कार्य करने पर जोर दिया। गांवों से हो रहे युवाधन के पलायन के कारणों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यदि गांव को सुविधा संपन्न बनाया जाए तो पलायन की मात्रा में सुधार आएगा। गांवों की तत्कालीन आवश्यकताओं के संदर्भ में ग्राम विद्यापीठों के अभ्यासक्रम के सुधार पर बल दिया। उन्होंने मात्र शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थाओं को प्रौद्योगिकी के साधनों से सुसज्जित होने के बजाए उनके उपयोग पर बल दिया।

शिक्षण महाविद्यालय गूजरात विद्यापीठ में किए जाने वाले प्रयोगों की रूपरेखा डॉ. लालजी भाई पटेल एवं छनाभाई भींसरा के संयुक्त प्रयास से प्रस्तुत किया गया।

सत्र–4

कार्य शिविर के चौथे पड़ाव में 'राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली नई तालीम की शिक्षा संस्थाएं और नई तालीम की चुनौतियां' विषय पर चर्चा हुई। चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता महेन्द्रभाई भट्ट ने की। मुख्य वक्ता के रूप में ज्योतिभाई देसाई ने नई तालीम की स्पष्टता पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए नई तालीम के संदर्भ में उनके उचित प्रशिक्षण की तरफ ध्यान खींचा। अध्यक्षीय भाषण देते हुए महेन्द्र भाई भट्ट ने शिक्षकों एवं छात्रों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में कहा कि राष्ट्र निर्माण की अर्थव्यवस्था पशुबल आधारित नहीं बल्कि आत्मबल पर आधारित होनी चाहिए। यही वह मार्ग है जो समाज एवं राष्ट्र को संगठित कर सकेगा। इन सबके लिए नई तालीम को अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

सत्र–5

कार्य शिविर के दूसरे दिन सत्र के पंचम पड़ाव में 'आज के संदर्भ में नई तालीम के सशक्तीकरण की आवश्यकता' विषय पर चर्चा हुई। पंचम सत्र की अध्यक्षता योगेश भट्ट ने की। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रवीण भाई डाभी ने कहा कि नई

तालीम के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि ऐसी सभी संस्थाएं जो इस दिशा में कार्य कर रही है, वे आपस में मिल–जुल कर अपनी समस्याओं, नवीन प्रयोगों, तथा उपलब्धियों पर चर्चा करें। आपने नई तालीम को 'नित्य नई तालीम' बनाए जाने पर जोर दिया। आपने नई तालीम के पाठ्यचर्या की पुनर्रचना करने की आवश्यकता जताई तथा इस क्षेत्र के किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। योगेश भाई भट्ट ने इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जब हम नई तालीम की समीक्षा करने बैठें हैं तो हमें व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र सबकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक दिशा तय करनी चाहिए। नई तालीम के प्रसार–प्रचार के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।

सत्र–6

छठे सत्र की अध्यक्षता जवाहर पंड्या ने की। 'बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता' विषय पर बोलते हुए इस सत्र के मुख्य वक्ता हृदयकांत दीवान ने बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों की प्रासंगिकता को सार्वकालिक बताते हुए आज के सदंर्भ में उसके कार्यक्रमों की पुनर्रचना पर बल दिया। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुनियादी शिक्षा की समीक्षा 1937 के मापदण्डों पर नहीं बल्कि आज की आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। नई तालीम के मुख्य केन्द्र उद्योगों की पसंदगी में आज की सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकता का भी ध्यान रखना होगा। आपने शारीरिक श्रम को स्वस्थ दिमाग का आधार मानते हुए श्रम को यांत्रिकता से मुक्त रखते हुए सृजनात्मकता से जोड़ने की बात की।

अध्यक्षीय प्रवचन देते हुए जवाहर पंड्या ने नवयुवकों को नई तालीम से जोड़ने की बात कर उन्होंने परिवर्तित परिस्थिति के संदर्भ में नई तालीम की समीक्षा कर उद्योग में वैविध्यता लाने की वकालत की। सत्र के अंतिम भाग में शिक्षकों, समाजसेवकों, एवं विद्यार्थियों ने मुक्त चर्चा में बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

कार्य शिविर में नई तालीम की पुनः प्रतिष्ठता हेतु, भावी कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सुदर्शन आयंगार की अध्यक्षता में सुझावों पर भी गहन चर्चा हुई जिसमें निम्नलिखित सुझाव मिले–

1. नया पाठ्यक्रम बनना चाहिए।
2. परम्परागत मूल्यांकन पद्धति के बजाए ज्यादा असरकारक एवं विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के प्रत्येक आयाम को माप सकने वाले मूल्यांकन कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है।
3. बुनियादी शिक्षा से संबंधित समाचार पत्रिका एवं शोधकार्य को प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाए।
4. छात्रोन्मुख विद्यालयी एवं वर्गीय वातावरण बनाया जाए।
5. नई तालीम के तत्वों की खोज के लिए NCF को पढ़ा जाए।
6. बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों का योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाए एवं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए।
7. उपयोगी उद्योगों की पहचान की जाए।
8. भाषा, उद्योग, सामाजिक जीवन एवं प्राकृतिक जीवन के माध्यम से शिक्षा दी जाए।
9. प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाए जिससे उनका समर्पण शिक्षण के प्रति बढ़े।

10. बुनियादी शिक्षा मूल्योन्मुख होनी चाहिए।

11. उद्योगों को जीवनोपयोगी एवं रोचक बनाया जाए।

कार्य शिविर के अंतिम भाग में किशोर संत ने 'नई तालीम की पुनःप्राण प्रतिष्ठा' पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आत्मावलोकन एवं आत्मविश्वास को अपना कर इस क्षेत्र में शिक्षकों को कार्य करने की आवश्यकता है। बुनियादी शिक्षा वह मूल मंत्र है जो की संकटग्रस्त सभ्यता को पुनर्जीवन दे सकता है।

शिविर के अंत में जयप्रकाश पंड्या, रीडर शिक्षण महाविद्यालय द्वारा बुनियादी शिक्षा के गूढ़ तत्वों को उद्घाटित करने वाला वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। कार्य शिविर के तीनों दिन प्रातःकालीन प्रार्थना और समूह सफाई में प्रत्येक प्रतिभागी ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

कार्य शिविर का समापन शिक्षण महाविद्यालय, गूजरात विद्यापीठ के प्राचार्य मोहन भाई पटेल के आभार ज्ञापन के साथ हुआ।

विचार गोष्ठी के दरम्यान नई तालीम प्रोजेक्ट की सलाहकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2006 को सुदर्शन आयंगार की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रोजेक्ट के भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया।

एक विनम्र अपील

पिछले कुछ समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि बुनियादी शिक्षा को लेकर एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए जिसके माध्यम से देश भर में व्यापक संवाद स्थापित किया जा सके। गूजरात विद्यापीठ, नई तालीम संघ गुजरात, विश्व मंगलम अनेरा और देश भर में बुनियादी शिक्षा से जुड़े साथियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 'बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश' के स्वरूप को हम परिमार्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पत्रिका का प्रकाशन विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर एवं गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

इस अंक से पत्रिका के प्रकाशन के लिए सहयोग राशि निर्धारित की है। आपसे अनुरोध है कि पत्रिका के लिए सहयोग राशि भिजवाने का कष्ट करें।

सहयोग राशि आप मनीआर्डर से या ड्राफ्ट से भिजवाएं। ड्राफ्ट विद्या भवन सोसायटी के नाम से बनाएं।

एक अंक–15 रुपए

वार्षिक सहयोग राशि–50 रुपए (डाक खर्च सहित)।

चंदा/रचनाएं भेजने का पता

विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केंद्र
फतहपुरा, मोहनसिंह मेहता मार्ग
उदयपुर (राज.) फोन : (0294) 2451497
Email : vbsudr@yahoo.com

नई तालीम

राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन

विद्या भवन सोसायटी उदयपुर के द्वारा बुनियादी तालीम की प्रासंगिकता के संदर्भ में 22–23 सितम्बर 2005 की कार्यशाला तथा 11–12 मार्च 06 को आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार की चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण सुझाव उभर कर आया था। इस सुझाव में बुनियादी तालीम को आज के परिप्रेक्ष्य में सशक्त करने और इसके लोकव्यापीकरण के लिए नेटवर्किंग किया जाए। देश में जहां–जहां भी बुनियादी तालीम पर काम हो रहा है उसे लेकर एक समूह या साझा मंच बनाया जाए। अपेक्षा है कि यह समूह या मंच नियमित रूप से मिलेगा और बुनियादी तालीम को जीवन्त बनाने का प्रयास करता रहेगा। यह भी सुझाव आया कि इस काम की अगुवाई विद्या भवन करें तो बेहतर होगा। उल्लेखनीय है कि विद्या भवन ने इस दिशा में पहल करते हुए समूह गठित करने के लिए संबन्धित प्रबुद्ध लोगों को पत्र भी लिखे थे।

इसी क्रम में गूजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के तत्वावधान में नई तालीम की समीक्षा और सशक्तीकरण के संदर्भ में 20–22 दिसम्बर 06 को एक कार्य शिविर रखा गया था। इस शिविर में भी बुनियादी तालीम की स्थिति का अध्ययन करने और इसको सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार समिति के गठन की आवश्यकता महसूस की गई।

इस कार्य शिविर में बुनियादी तालीम की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के गठन के लिए एक बैठक रखी गई थी जिसमें समिति के स्वरूप, कार्य क्षेत्र व जिम्मेदारी के संदर्भ में चर्चा की गई जिसका सार संक्षेप यहां प्रस्तुत किया जा रहा है–

1. गूजरात विद्यापीठ के कुलनायक सुदर्शन आयंगार ने बताया कि गूजरात विद्यापीठ के तत्वावधान में गठित नई तालीम राष्ट्रीय सलाहकार समिति (Nai Taleem National Advisory Committee) अगले तीन सालों में नई तालीम की दशा और दिशा को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। अपेक्षा है कि यह समिति भविष्य में भी नई तालीम को सशक्त करने की दिशा में काम करती रहे। इस काम में गूजरात विद्यापीठ आवश्यक सहयोग सदैव करती रहेगी। जरूरत हुई तो गूजरात विद्यापीठ इस कार्य

को जारी रखने के लिए वित्तीय मदद भी करेगी।

2. फिलहाल यह समिति गठन के दौर में है। इस समिति में और साथियों को जोड़ना हैं। जल्द ही इस समिति में और भी साथियों को जोड़कर इसे पूरी तरह गठित कर लिया जाएगा। इस समिति के लिए देश में बुनियादी शिक्षा से जुड़े साथियों के नाम भी प्रस्तावित हुए। इनमें जो नाम आए वे इस प्रकार हैं– अनिल सदगोपाल, कमल महेंद्रू, अमरजीत सिन्हा, राधा बहन भट्ट, शरद चंद्र बेहार, बी. रामदास शास्त्री, बाबुभाई शाह।

3. प्रारम्भिक रूप से इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।

4. वर्तमान में राजस्थान में विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर बुनियादी शिक्षा को लेकर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इस लिहाज से जरूरी है कि इस कार्य में विद्या भवन मदद करें। इस बात की जरूरत महसूस की गई कि संदर्भित परियोजना के कार्यों को अंजाम देने में गूजरात विद्यापीठ और विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर की संयुक्त रूप से भागीदारी रहेगी।

5. सलाहकार समिति का मुख्य दायित्व देश में नई तालीम को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं इसको लेकर एन.सी.आर.आई (National Council of Rural Institutes) को रिपोर्ट और सुझाव देना है।

6. इस समिति का प्रमुख कार्य आज के संदर्भ में किस तरह से देश में नई तालीम को लागू कर सकते हैं? बुनियादी शिक्षा के सिध्दांतों और शिक्षाशास्त्र की जो विशेषताएं हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से निखारकर उनको प्रकाश में लाना है। साथ ही बुनियादी तालीम की संस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए और उनको एक मजबूत स्वरूप देने के संदर्भ में विचार–मंथन करना और उसको क्रियांवित करना है।

7. ज्योति भाई देसाई ने सुझाव दिया कि शुरूआत में हम नई तालीम के परिणामों और उसकी समझ के लिए हर एक संस्था से उसकी स्वयं मूल्यांकन की रिपोर्ट प्राप्त करें और इनको इकट्ठा कर उसकी एक सूची तैयार करें।

8. सुदर्शन आयंगार ने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम बुनियादी तालीम की धारा में कैसे सामान्य शिक्षा के संस्थानों को शामिल कर सकते है? इस पर हम काम करें, उसकी समीक्षा करें और इसकी तीन वर्ष में एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार करें।

9. एच. के. दीवान ने राय प्रकट की कि हम देश के राज्यों के राज्य शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उनके राज्य में कहां–कहां बुनियादी तालीम की शालाएं व संस्थाएं काम कर रही हैं। एक और तरीका हो सकता है कि अलग–अलग राज्यों में जो लोग हमारे संपर्क हैं उनसे बुनियादी तालीम की संस्थाओं की सूची प्राप्त की जा सकती है।

10. इस संदर्भित परियोजना में गुजरात नई तालीम संघ से भी आवश्यक सहयोग लिया जाए।

11. यह तय किया गया कि अगले 15 दिनों में देश की सभी बुनियादी तालीम की संस्थाओं और शालाओं की सूची तैयार कर ली जाए। विद्या भवन के पास जो सूची है वह गूजरात विद्यापीठ को और गूजरात विद्यापीठ व गुजरात नई तालीम संघ की सूची विद्या भवन को भेज दी जाएगी। इस तरह से गूजरात विद्यापीठ और विद्या भवन दोनों जगहों पर डैटाबेस बन जाए।

12. आज की परिस्थिति में बुनियादी तालीम के सशक्तीकरण (पुनः प्राण–प्रतिष्ठा) के संदर्भ में किए जा रहे विचार–मंथन, प्रयासों को आदान–प्रदान करने और उसके प्रचार–प्रसार के लिए विद्या भवन बुनियादी शिक्षा संदर्भ केन्द्र ,उदयपुर द्वारा प्रकाशित किए जा रहे बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश न्यूज लेटर के दायरे को व्यापक करने की जरूरत है।

अब इस न्यूज लेटर को विद्या भवन और गूजरात विद्यापीठ, संयुक्त रूप से प्रकाशित करेगा। यदि जरूरी समझें तो इस न्यूज लेटर में गुजराती भाषा में सामग्री का प्रकाशन किया जा सकता है। इस न्यूज लेटर को निकालने की जिम्मेदारी विद्या भवन सोसायटी उदयपुर की होगी। न्यूज लेटर के लिए वित्तीय मदद गूजरात विद्यापीठ द्वारा जुटाई जा सकती है।

13. दिनांक 15, 16 और 17 जनवरी 2007 को वेड़छी (सूरत) में नई तालीम संघ के होने वाले सम्मेलन में सलाहकार समिति के लोग अनौपचारिक रूप से मिलेंगे और बातचीत करेंगे।

14. बैठक के अन्त में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सहायता के लिए एक प्रोटोकॉल समिति बनाई गई। इस प्रोटोकॉल समिति में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया गया–

(1) प्रवीण भाई डाभी, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

(2) जयप्रकाश पण्डया, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

(3) भरत भाई जोशी, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

(4) दीपूबा देवड़ा, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

(5) भागचन्द्र कुमावत, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर

(6) के. आर. शर्मा, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर

यह प्रोटोकॉल समिति देश में काम कर रही बुनियादी तालीम की संस्थाओं और शालाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी उसका प्रोफाइल तैयार करके देगी।

हस्तक्षेप

चरखा बनाम कम्प्यूटर

प्रक्षाली देसाई

अभी थोड़े दिनों पहले गूजरात विद्यापीठ में बुनियादी शिक्षण से सम्बन्धित एक कार्यशाला का आयोजन था। मेरी वहां कुछ छात्रों के साथ बातचीत हुई। उनका कहना था कि ''सुबह–सुबह में हमें यह चरखे चलाने व बुनाई काम करने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है। हमें तो लगता है इस चरखे की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी चरखे की जगह कम्प्यूटर की कक्षा लगाई जाए या हमारी परीक्षाओं के लिए पढ़ने दिया जाए तो अच्छा रहे।''

यह सुनकर बुनियादी शिक्षा के लोगों को उन पर चिढ़ हो सकती है पर उनका दोष नहीं है। हमारी सामाजिक व आर्थिक संरचना उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। बुनियादी शिक्षण प्रक्रिया में हाथ के काम को महत्व दिया गया है, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को महत्व दिया गया है। पर एक बात तो सोचनी ही पड़ेगी कि क्या कम्प्यूटर पर कार्य करते हुए समाजोपयोगी उत्पादन कार्य होता है?

कम्प्यूटर चलाते वक्त हमारे अंग संचालन में सिर्फ उंगलियां, की–बोर्ड व माउस के साथ कार्य करती है और अधिकतर दिमाग द्वारा हम कम्प्यूटर संचालित करते हैं। हमारे दूसरे अंगों का उसमें हिस्सा नहीं है। कम्प्यूटर चलाना और अन्य शारीरिक श्रम करने में बहुत फर्क है।

यहां पर मैं यह कतई नहीं कहना चाहती कि हमें कम्प्यूटर सीखना ही नहीं चाहिए। न मैं कोई नोस्टेलजिया में जीने वाली गांधी भक्त हूं। मैं तो चाहती हूं जो हाथ कम्प्यूटर चलाना जानते हो वह चरखा या उसके जैसा सृजनकारी श्रम भी करें। हम थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म सोचें तो कम्प्यूटर के उपयोग के साथ हमें काफी सुविधाएं मिल गई है जिसकी वजह से कई अन्य कार्यों के लिए हम समय भी बचा पा रहे हैं। पर बचे हुए समय में हम क्या करते हैं? इन्टरनेट सर्फिंग करते है, मोबाईल पर एस.एम.एस. करते हैं या बेवजह मोबाईल पर बतियाते रहते हैं। देखें कि पूरे दिन में क्या हम कोई सृजन कार्य करते हैं? आगे लिखी क्रियाओं से हमें बिना वजह के अतिरिक्त मानसिक आंदोलनों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें जिन्दगी में सुकून के पल नसीब नहीं होते।

हमें सब कुछ मिल जाए इसके लिए दिन भर मानसिक रूप से बहुत भागते हैं और रात की नींद को हमने बेच दी है। कॉल सेन्टर के नाम या उसके जैसे अन्य कामों के नाम। हम ''टेक्नोकुली'' बन चुके हैं।

बुनियादी शिक्षण में दो बहुत अच्छे शब्द हैं ''समवाय'' और ''अनुबन्ध''। ''समवाय'' शब्द का अर्थ है नित्य संबंध, प्रगाढ़ संबंध। कार्य या श्रम के अनुभव से कार्य और कारण का संबंध जुड़ा है। वृक्ष में बीज और बीज में वृक्ष होते हुए भी वह अलग दिख सकते हैं फिर भी दोनों के बीच एक प्रगाढ़ संबंध है। ऐसा ही संबंध श्रम और ज्ञान के बीच है। बुनियादी शिक्षा में उद्योग की क्रिया में विचार व मनुष्य के साथ श्रम के जरिए संपर्क व संबंध बनाना होता है। इससे अनेक शक्तियों की जानकारियों की समझ का एकीकृत विकास होता है परिणामस्वरूप शिक्षण की प्रक्रिया अखंडित रहती है।

दूसरा शब्द है ''अनुबन्ध''। इस शब्द में ''अनु'' का अर्थ ''अनुसरण'' (to follow) है।

श्रम प्रवृति पहले हो बाद में उसके संबंध में कोई

विषय–वस्तु का शिक्षण हो। श्रम अनुभव के आधार पर और संबंध से विषय–वस्तु को जोड़ा जाए और शिक्षण कार्य हो वह अनुबन्ध है।

इसी संदर्भ में आज से सालों पहले बुनियादी शिक्षा में चरखा उद्योग को शामिल किया गया था। उस वक्त समाज व देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने हेतु चरखा चलाते हुए बालक सीखे, ऐसा गांधी जी को लगा था और यह बात स्वराज प्राप्ति के साथ भी जुड़ी थी। आज लोग चरखे को गैर जरूरी समझने लगे और कम्प्यूटर को ज्यादा जरूरी। हो सकता है कल उठकर यह कम्प्यूटर भी गैर जरूरी हो जाए। हमें सोचना चाहिए कि क्या कम्प्यूटर हमारे बालकों में जीवन जीने का कौशल विकसित कर सकता है? क्या इसके द्वारा शिक्षा के कई पहलुओं को छुआ जा सकता है? उसका अर्थतंत्र के उत्थान के साथ कितना संबंध है? क्या कम्प्यूटर बुनियादी शिक्षा में काम द्वारा शिक्षण की संकल्पना पर खरा उतरता है? समाज की मूलभूत जरूरत में इसकी क्या भूमिका है? अब चरखे के बारे में सोचें, चरखा चलाते वक्त हम बच्चों के साथ गियर्स के बारे में बातचीत करके समझ बना सकते हैं। सूत के तांत की तन्यता को जांचते परखते बल, चक्रगति, हाथ को कितने अंश के कोण पर रखें आदि भौतिक शास्त्र के कुछ पहलुओं को छू सकते हैं? चरखा चलाते वक्त हम सारा ध्यान सूत कैसे अच्छा कते उसके ऊपर लगाते हैं? क्या यह ध्यान की प्रक्रिया नहीं हो सकती? क्या कम्प्यूटर के साथ ऐसा सम्भव है? हमारे रोजमर्रा का मानसिक तनाव हम सूत कातने से कम कर सकते हैं क्या? सोचें! सृजन जहां होता है, उससे अंगों को तो एक प्रकार का शांतिमय सुखद एहसास होता है। यह बात मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, शायद यही है बुनियादी शिक्षा में समवाय ज्ञान का आध्यात्मिक अभिगम।

आज की तनाव ग्रस्त और हमेशा जल्दी में रहने वाली जिन्दगी को सुकून के पल प्राप्त करने के लिए गुरूओं, के पास आर्ट ऑफ लिविंग सीखने जाना पड़ता है। क्या चरखा या उसके जैसे ही सृजन की कोई क्रिया ध्यान के साधन नहीं बन सकते? ध्यान क्या है? ध्यान होशपूर्वक किया गया श्रम है।

यहां मैं यह साबित करना नहीं चाहती कि चरखा या कम्प्यूटर में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है? शायद यह तुलना ही गलत है। यह तो हमारे द्वारा पकड़े हुए खूंटे मात्र है। एक खूंटे के बाद दूसरा पुराना हो सकता है। आज की परिस्थिति में समाज को, देश को किस प्रकार के संतुलित व्यक्तियों की और उद्यम की जरूरत होगी, हमें तय करना है।

चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज, शांति और मन के feel good factor की आवश्यकता तो सभी को है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं क्या ग्रामीण, क्या शहरी! यह तो हम उन्हें भान कराते हैं व बांटते हैं।

चलो, मान लें हम चरखा न चलाएं पर मशीन से सिलाई तो कर सकते हैं। सिलाई से संबंधित समवायी शिक्षा के संदर्भ में देखें तो सिलाई करते हुए मशीन के छोटे–मोटे चक्रों का एक दूसरे से संबंध, मशीन की गति का आधार क्या है? मशीन की सुई एक मिनट में कितनी बार ऊपर–नीचे होती है। मशीन के अन्दरूनी यंत्र, उच्चालन, मशीन की सार–संभाल, तेल डालना क्यों जरूरी? मशीन के भाग सफाई के लिए अलग करना, उन्हें जोड़ना, मशीन कैसे बनी, किसने बनाई मशीन, उसका इतिहास, मशीन पर काम करते वक्त प्रकाश की दिशा, कपड़े के प्रकार, कटाई का काम, शरीर के लिए कपड़े बनाने है, इसलिए शरीर की सममिती आकृति समझना। सिलाई करने की जगह को स्वच्छ रखना (इसी से जीवन के अन्य कार्य के लिए अच्छी आदतें विकसित हो सकती है)। इस तरह के ध्येयों का समेकित रूपांकन समवायी ज्ञान से शिक्षा बुनियादी शिक्षा में है। ऊपर बताई गई पूरी बात शायद सिलाई संबंधित वेबसाईट पर सीधे–सीधे मिल भी सकती है। पर क्या वेबसाईट की जानकारी और सिलाई करने की प्रक्रिया द्वारा मिली सीख में कोई फर्क है या नहीं?

बुनियादी शिक्षा क्यों?

अंजु शर्मा

आज यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कई तरह के नए–नए विद्यालय आगे आ रहे हैं। पर वहां दी जाने वाली शिक्षा ऐसी है जो बालक का सर्वांगीण विकास करने हेतु पर्याप्त नहीं है। वहाँ अकादमिक पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पर व्यावहारिक पक्ष को गौण। वर्तमान में ऐसे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर कुछ विद्यार्थी प्राइवेट कम्पनी में अच्छी नौकरी प्राप्त कर अच्छा खासा कमा रहे हैं। पर जब समाज के साथ चलने, रहने की बात आती है तो इस पक्ष में वो कमज़ोर रहते हैं। आज की शिक्षा केवल एक क्षेत्र में बालक को ले जाती है, बाकी जीवन के पक्ष उसके लिये अछूते रह जाते हैं। आज जरूरत है ऐसे विद्यालयों की जो बुनियादी हो। उनमें पढ़ाई के साथ–साथ उन्हें हाथ से कार्य करने, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने, समुदाय से जुड़े रहने के मौके दिए जाए। जहां मौके हो उन्हें अपने आस–पास के वातावरण को समझने के। वे आने वाली परिस्थिति के साथ समझौता कर सकें। उन्हें जीवन की समस्याओं से जूझने के मौके दिये जाए। वे दूसरों का कार्य करने, समूह में कार्य करने में शर्म महसूस न करें। उन्हें स्वयं के बारे में विश्लेषण करने की आदत हो। इन सभी कार्यों की पूर्ति काफी हद तक बुनियादी शिक्षा पूरी करती है। अतः आज जरूरत है बुनियादी विद्यालयों की जिनसे हमें एक कार्यशील समाज मिल सके। बुनियादी विद्यालयों में बालक को जीवन की, जीवन के लिए शिक्षा दी जाती है। उसमें जो वो पढ़ता है वह करता भी है। वह अवलोकन भी करता है और निर्णय भी लेता है। वह पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर नहीं होता। वह शिक्षक के संरक्षण में कार्य करना सीखता है। इन कार्यों को जब वह समाज में करता है तो उसे हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता जाता है। आगे आने वाली पीढ़ी को भी वह वैसी ही (बुनियादी) शिक्षा देने का प्रयास करता है। एक बुनियादी विद्यालय में पढ़ा बालक स्वयं उठ कर पानी पी सकता है, अपने घर का उड़ा फ्यूज स्वयं बांध सकता है। इतने छोटे–छोटे कार्यों के लिये वह दूसरों पर कभी निर्भर नहीं रहेगा।

बुनियादी विद्यालय बालक को शिक्षा में स्वतन्त्रता के मौके भी देता है। वह निश्चित क्षेत्र में बांध कर शिक्षा नहीं देता। जब बालक स्वतन्त्रता पूर्वक सीखने का कार्य करता है तो वह एक ही नहीं कई तरह की बातें सीख जाता है। और उसने जीवन के लिए इतना सीख लिया होता है कि उसे अलग से कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। आज समाज के विकास, देश के विकास के लिये बुनियादी शिक्षा की बहुत जरूरत है। इसके लिए हमें बुनियादी विद्यालयों को और खोलना होगा और उनके विकास के लिए सोचना होगा ताकि हम देश के लिए अच्छे नागरिक दे सकें।

Founded by Mahatma Gandhi in 1920
GUJARAT VIDYAPITH
Dr. Sudarshan Iyengar
Vice-Chancellor
(079) 27541392
E-mail : vi@gujartvidyapith.org

Dr. Rajendra Khimani
Registrar
(079) 27546767
E-mail : registar@gujartvidyapith.org

Fax : (079) 27542547
Website : www.gujaratvidyapith.org

GANDHIAN CENTRE FOR STUDIES IN PEDAGOGY AND PRACTICE OF NAI TALEEM IN INDIA

Dr. Pravinbhai Dabhi
Co-ordinator : Nai Taleem Project
(079) 27540746 (Ext.208)
(M) 98259 36242
E-mail : naitalim_gv@yahoo.co.in

भारत में बुनियादी शिक्षा की संस्थाओं की स्थिति जानने संबंधी अपील

दिनांक : / /2007

प्रिय साथी/सहयोगी

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद् (National Council of Rural Institutes- NCRI) के सहयोग से भारत में बुनियादी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन का कार्य गूजरात विद्यापीठ द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इस कार्य में विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर भी गूजरात विद्यापीठ के साथ शामिल है। गूजरात विद्यापीठ व विद्या भवन सोसायटी द्वारा भारत में नई तालीम की समीक्षा एवं सशक्तीकरण विषय पर एक–एक सेमीनार का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया था। उल्लेखनीय है कि गूजरात विद्यापीठ अहमदाबाद व विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर (राजस्थान) बुनियादी शिक्षा को अपनी शिक्षा संस्था में जीवंत बनाने, साथ ही देश भर में बुनियादी शिक्षा के नेटवर्किंग के संदर्भ में सक्रिय प्रयास कर रही हैं।

आज जब हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो कई मूल बिन्दु सामने रखते हैं। बच्चों की भाषा के उपयोग, उनके संदर्भ (पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक परिस्थिति आदि) का उपयोग, उनमें चिन्तन व मनन की क्षमता की आवश्यकता आदि सब की चर्चा की जा रही है। इसमें से अधिकांश किसी न किसी तरह बुनियादी शिक्षा में शामिल हैं। यह भी चर्चा है कि बच्चों को सीखते समय हाथों से कुछ खोजने, सृजन करने, मेहनत करने आदि की जरूरत है। इसके बावजूद जिस शिक्षा व्यवस्था का ताना–बाना गांधी जी व अन्य साथियों ने बुना था उसका दायरा और व्यापक होने के बजाए लगातार सिकुड़ता जा रहा है।

हमारा अहसास है कि देश में ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जो बुनियादी शिक्षा के कुछ पहलुओं को अपनी संस्था में अपनाए हुए हैं। लेकिन बुनियादी शिक्षा की देश भर में क्या स्थिति है इसका समग्र प्रामाणिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इस परिस्थिति में हम प्रयास करना चाहते हैं कि एक पूर्ण प्रपत्र बने जिसमें जो भी संस्थाएं बुनियादी शिक्षा के सिध्दांतों पर आधारित कुछ भी कार्य कर रही हैं उनकी जानकारी का समावेश हो सकें। हम यह भी चाहते है कि इनमें पारस्परिक संबंध बढ़ें।

इस लिहाज़ से यह जरूरी है कि देश में कार्यरत संस्थाओं में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों के उपयोग की स्थिति का जायजा लेकर देश में नई तालीम की एक समग्र तस्वीर तैयार की जाए। बुनियादी शिक्षा को आप अपनी संस्था में आज के संदर्भ में किस तरह से अपनाए हुए हैं। यह जानने के लिए आपकी ओर एक प्रपत्र भेजा जा रहा है। हम देश भर में कार्यरत नई तालीम की संस्थाओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इस प्रपत्र के माध्यम से जो जानकारियां हमें प्राप्त होगी उसके आधार पर देश भर में बुनियादी शिक्षा की स्थिति की एक समग्र तस्वीर तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।

हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके शिक्षा संस्थान से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल बुनियादी शिक्षा (नई तालीम) की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए किया जाएगा। इस रिपोर्ट की एक प्रति आपकी संस्था को भी भेजी जाएगी।

यदि आपको लगता है कि इस प्रपत्र के अलावा आकपी संस्था की कोई और जानकारी भी हैं, जैसे कि अपनी संस्था की भूमिका और मुख्य विशेषता को स्पष्ट करता हुआ शोधपत्र, आपकी संस्था में नई तालीम के तत्वों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से और नई तालीम की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने की दिशा में चल रहे प्रयास, प्रयोग और उसके अनुभव संबन्धी साहित्य, रिपोर्ट, तस्वीरें, सीडी आदि जो आपके लिहाज से जरूरी हो तो कृपया अलग से अवश्य उल्लेख करें और उसकी प्रति भी हमें अवश्य भेजें।

आपसे अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर हमें जल्द से जल्द भिजवाएं।

शुभकामनाओं सहित,

हृदयकांत दीवान
शिक्षा सलाहकार
विद्या भवन सोसायटी, फतेहपुरा,
डॉ. मोहन सिंह मेहता मार्ग
उदयपुर, (राजस्थान)

सुदर्शन आयंगार
अध्यक्ष : नई तालीम प्रोजेक्ट
कुलनायक
गूजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद (गुजरात)

पुनश्चः–प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज कृपया नीचे लिखे पते पर यथा शीघ्र भेजें।

प्रवीणभाई डाभी,
संयोजक : **नई तालीम प्रोजेक्ट**
शिक्षण महाविद्यालय, गूजरात विद्यापीठ
आश्रम रोड़, पो. नवजीवन,
अहमदाबाद–380014
इस संबंध में जानकारी नीचे लिखे ईमेल पर भी भेजी जा सकती है–
E-mail : naitalim_gv@yahoo.co.in

Gandhian Centre for Studies in Pedagogy and Practice of Nai Taleem in India
Gujarat Vidyapith, Ashram Road, Ahmedabad- 380 014

भारत में नई तालीम (बुनियादी शिक्षा) की संस्थाओं की स्थिति जानने संबंधी प्रपत्र

सूचना

- अपनी शिक्षा संस्था की संक्षिप्त जानकारी इस प्रपत्र में लिखकर गूजरात विद्यापीठ–अहमदाबाद, (गुजरात) के पते पर यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।
- उत्तर देने के लिए ✓, X चिन्हों से, अनावश्यक शब्द पर लकीर खींचकर या जरूरत हो तो आंकड़ों में या शाब्दिक संक्षिप्त उत्तर दीजिए।
  इस प्रपत्र में चाही गई जानकारी के संदर्भ में जो भी दस्तावेज आपके पास उपलबध हो उनकी प्रति हमें भेज सकें तो बेहतर होगा।
- प्रश्नों के जवाब के लिए अगर आप चाहें तो अलग शीट का उपयोग कर सकते हैं।

---

1. (क) संस्था / विद्यालय का नाम : ————————————————————
   (ख) प्राचार्य / प्रधानाध्यापक का नाम : ————————————————————
   (ग) पत्र व्यवहार के लिए पता : ————————————————————
   मु. ———————— पोस्ट ———————— व्हाया ———————— तहसील ————————
   जिला ———————— राज्य ———————— पिन कोड ————————
2. सपंर्क के लिए माध्यम :
   (क) फोन (O) ( )————————, ————————, ————————
   (ख) (R) ( )————————, मोबाईल : ————————————
   (ग) ई–मेल : ————————————, वेबसाइट : ————————————
3. (क) ट्रस्ट / संचालक मंडल का नाम : ————————————————————
   (ख) मेनेजिंग ट्रस्टी / सेक्रेटरी / रजिस्ट्रार का नाम : ————————————————————
4. संस्था की भूमिका और मुख्य विशेषता : ————————————————————
   ————————————————————————————————————
   ————————————————————————————————————
5. शिक्षा के स्तर के मुताबिक आपकी संस्था का कार्यक्षेत्र–
   ☐(क) पूर्व बुनियादी..... (पूर्व प्राथमिक : ————से ————————तक)
   ☐(ख) बुनियादी ..... (प्राथमिक : कक्षा ————से ————————तक)
   ☐(ग) उत्तर बुनियादी ..... (माध्यमिक : कक्षा ————से ————————तक)
   ☐(घ) उच्च्तर उत्तर बुनियादी ..... (उच्च्तर माध्यमिक : कक्षा ————से ————तक)
   ☐(ड.) उत्तम बुनियादी (महाविद्यालय / ग्राम विद्यापीठ : (स्नातक –स्नातकोत्तर–– शिक्षा तक)
   ☐(च) विश्वविद्यालय..... (स्नातक ———स्नातकोत्तर———— शिक्षा तक)

☐(छ) बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ....(प्राथमिक ––––––माध्यमिक–––––––)

☐(ज) अन्य ––

6. कितने सालों से संस्थान संचालित है?––––––––––––––––(स्थापना वर्ष :––––––––)

7. (क) संस्था जहां है वहां के लोगों की प्रादेशिक भाषा ––––––––––––––––––––

(ख) संस्था में शिक्षा का माध्यम कौनसा है? : ––––––––––––––––––––––––––

8. संस्था में विद्यार्थियों की संख्या (कक्षावार)

कक्षा	छात्र	छात्राएं	कुल

कक्षा	छात्र	छात्राएं	कुल

9. आपकी संस्था में यदि पुस्तकालय है तो उसमें किस प्रकार का साहित्य है? कुछ विशेष का उल्लेख करें।

––

––

10. (क) क्या संस्था/विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था है? ––––––––––––––––––––––

(ख) यदि है, तो छात्रावास में कितने छात्र–छात्राएं रहते हैं?–––––––––––––––––

11. छात्रवास के निवासी छात्रों के अलावा आसपास के गांव/कस्बे या शहर से रोज़ाना कितने छात्र–छात्राएं विद्यालय में पढ़ने आते हैं? –––––––––––––––––––––––––––––

12. (क) निम्न उद्योगों में से आपकी संस्था में कौन–कौन से उद्योग के कार्य संचालित किए जाते हैं? (अपनाए जा रहे उद्योग के बारे में दस्तावेज संलग्न करें।)

(i) कृषि (ii) दुग्ध डेरी

(iii) लोहारी (iv) सुथारी

(v) कताई–बुनाई, रंगाई (vi) बिजली के उपकरणों की मरम्मत

(vii) खाद्य प्रसंस्करण (viii) कुम्हारी

(ix) पशु पालन (x) सिलाई

(xi) हस्त निर्मित कागज (xii) बागवानी

(xiii) वन विद्या (xiv) गृह जीवन विद्या

(xv) ग्राम यंत्र विद्या (xvi) अन्य यदि कोई हो तो उल्लेख करें।

(ख) आपकी संस्था में किन उद्योगों के माध्यम से उत्पादन कार्य होता है?–––––––––––––

(ग) आपकी संस्था में उद्योग (कार्यशिक्षण) सिखाने वाले शिक्षक और अन्य विषय पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही है या अलग–अलग ? ––––––––––––––––––––––––––––––

(घ) उद्योग (कार्यशिक्षण) में छात्र करीबन कितना समय देते हैं?

रोज़ाना –––––––––––घंटे, साल में –––––––––––––घंटे

13. (क) संस्था/विद्यालय के पास कितने एकड़ ज़मीन है? ——————————————

(ख) यह ज़मीन सरकार या किसी दाता द्वारा दी गई है या संस्था की स्वयं की है? ———

14. (क) संस्था/विद्यालय को सरकारी या कहीं ओर से सहायता प्राप्त है? यदि हां तो कहां से?
——————————————————————————————

(ख) यदि नहीं तो विद्यालय चलाने के लिए वित्तीय व्यवस्था कैसे जुटाई जाती है?
——————————————————————————————

——————————————————————————————

(ग) शिक्षा संस्था में उद्योग के माध्यम से किस हद तक आर्थिक स्वावलम्बन हो पाता है?
——————————————————————————————

15. (क) बुनियादी शिक्षा का एक अहम पहलू हैं ''समवाय'' (अनुबंध) याने कि समग्र रूप से शिक्षा देना। क्या आप अध्यापन के दौरान समवाय करते हैं?
——————————————————————————————

(ख) किस प्रकार से और किन विषयों में समवाय किया जाता है? (उदाहरण दें।)
——————————————————————————————

——————————————————————————————

(ग) क्या आपने अपने समवाय के प्रयास का दस्तावेजीकरण किया है?
——————————————————————————————

(घ) यदि समवाय शिक्षा के कार्यान्वयन में कुछ दिक्कतें/बाधाएं महसूस करते हैं तो इसके बारे में बताएं।——————————————————————————

——————————————————————————————

16. (क) आपकी संस्था में बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है या सामान्य प्रवाह की शिक्षा का या मिला–जुला? ——————————————————

——————————————————————————————

(ख) आपके विद्यालय के पाठ्यक्रम और सामान्य प्रवाह के पाठ्यक्रम में क्या–क्या अंतर हैं?
——————————————————————————————

(ग) बुनियादी पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम/पाठ्यसामग्री/कार्यपोथी/शिक्षक निर्देशिका/मूल्यांकन पत्र आदि तैयार किए हैं? (यदि 'हां' तो इसकी प्रति भेजें।)

——————————————————————————————

——————————————————————————————

17. बुनियादी शिक्षा को लेकर क्या आपकी संस्था के संस्थापक सदस्य, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक–शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रक्रिया सम्बन्धी विशेष लेख, किताबें आदि लिखी हैं? (हां/ना)—(यदि लिखी हो तो कृपया हमें उसकी सामग्री भी भेजें।)

——————————————————————————————

18. संस्था/विद्यालय में प्रतिदिन काम के घंटे————————————————————
(विद्यालय की दिनचर्या की समय सारणी संलग्न करें।)

19. (क) संस्था/विद्यालय में कितने शिक्षक/शिक्षिकाएं हैं? ————————————————
(ख) उन शिक्षकों में से बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण कितने शिक्षकों ने लिया है?————
(ग) शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता? (सूची संलग्न करें) ————————————————

20. आपके संस्था/विद्यालय में परंपरागत मूल्यांकन पद्धति से हटकर कोई विशेष पद्धति/प्रणाली/व्यवस्था हो तो बताइए।
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————

21. (क) आपके क्षेत्र में आपके संस्था के अलावा यदि नई तालीम की अन्य संस्थाएं कार्यरत हो तो कृपया उनकी जानकारी हमें प्रदान करें।
————————————————————————————————————
(ख) आप उन संस्थाओं से सत्त किस प्रकार संपर्क बनाए रखते हैं?————————————

22. (क) आपकी संस्था में शिक्षण के दौरान सामाजिक बदलाव संबंधी क्या–क्या प्रयास किए जाते हैं? इसके लिए तैयार की हुई समय–सारणी एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
————————————————————————————————————
(ख) 'सर्वोदय समाज रचना' की दिशा में प्रयास करने में आपकी संस्था की अगर कोई विशेष भूमिका रही हो तो इसके बारे में बताएं।
————————————————————————————————————

23. नई तालीम के तत्वों के कार्यान्वयन की दृष्टि से संस्था की वर्तमान स्थिति एवं नई तालीम की पुनः प्राण–प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहे प्रयास और उसके अनुभव अगर हो तो बताएं।
————————————————————————————————————

24. आपकी संस्था या विद्यालय की भावी विकास की योजना : (अगर कोई खास ध्यानाकर्षक बात हो तो अवश्य बताएं)।
————————————————————————————————————

25. आपकी शिक्षा संस्था में अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई आना चाहें तो संस्था तक पहुंचने के लिए नजदीक के रेल्वे स्टेशन/बस स्टेशन से दूरी और यातायात सुविधा के बारे में संक्षिप्त में मार्गदर्शन दें।
————————————————————————————————————

दिनांक : ————————

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान

जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा

दयालचंद्र सोनी

बुनियादी शिक्षा के क्रियान्वयन की बात करते हैं तो ज़ेहन में एक नाम आता है दयालचन्द्र सोनी। विद्या भवन बुनियादी विद्यालय, रामगिरि में लगभग 15 साल तक आपने काम किया। रामगिरि में व्यावहारिक काम के साथ–साथ सोनी जी ने बुनियादी शिक्षा का अर्थ समझा और अनुभव की रोशनी में उनका चिंतन चलता रहा। और इस चिंतन के चलते जो–जो अर्थ समझ में आए उनको उन्होंने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया।

इन अर्थों और अनुभवों का संकलन 'बुनियादी शिक्षा क्या और कैसे?' शीर्षक से विद्या भवन सोसायटी के मासिक पत्र 'जन शिक्षण' में एक लेखमाला के रूप में प्रकाशित हुआ है। बाद में ये लेख 'बुनियादी शिक्षा क्या और कैसे?' नामक शीर्षक से एक किताब के रूप में प्रकाशित भी हुए।

दुनिया भर की समस्याओं पर जब भी गहराई से सोचा जाता है, तो उनका एक मात्र हल बुनियादी शिक्षा में ही दिखाई देता है। प्रस्तुत लेख 'जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा' में विद्या भवन बुनियादी विद्यालय की कक्षा शिक्षण से लगाकर देश–विदेश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्था का नज़ारा देखने को मिलता है।

1. पारंपरिक शाला से भिन्नता की समस्या

जब हमारा बुनियादी विद्यालय चलने लग गया और कुछ जमा, तब जगह–जगह से दर्शक और अतिथि इन विद्यालय को देखने के लिए आने लगे। इन दर्शकों और अतिथियों के मन में बड़ा ही कौतुहल रहता था कि बुनियादी शाला कैसे चलती होगी, वहां पढ़ाई कैसे होती होगी। ये लोग पढ़ाई का कोई नवीन और जादूभरा तरीका देखने की आशा से हमारे विद्यालय में आते और जब वे यह देखते कि यहां भी विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं, यहां भी श्यामपट पर शिक्षक कुछ बातें समझाता है, यहां भी कुछ पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, यहां भी कुछ समय–विभाग है, तो इन दर्शकों और अतिथियों को (जिनमें कुछ गांधीवादी भी होते) बड़ी निराशा होती। शायद वे यह सोचकर आते थे कि एक बुनियादी शिक्षालय का चित्र पारंपरिक शिक्षालय के चित्र से हर बात में ही उल्टा होता होगा। ये लोग कहते ''अरे यह कैसा बुनियादी विद्यालय है? ये बातें तो पुराने विद्यालयों में भी होती है।'' तब मैं उनसे कहता ''तो क्या आपकी राय में बुनियादी शिक्षा का अर्थ यह है कि विद्यार्थियों और मास्टरों को कक्षा में शीर्षासन करते हुए शिक्षा लेनी और देनी चाहिए, ताकि आपको यह संतोष हो सके कि सचमुच बुनियादी शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में भेद है?''

इस पर दर्शकों को और भी अधिक निराशा होती और वे यह कहते कि तब तो आप और हम एक ही तरीके से पढ़ाते है और बुनियादी शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा में कोई भेद है ही नहीं। इन दर्शकों की दृष्टि में आस्ट्रेलिया के कंगारू का पाठ तकली से कैसे समवायित किया जाएगा, इस प्रश्न का जो समाधान हो सकता है, वही बुनियादी शिक्षा हो सकती थी। बुनियादी शिक्षा पढ़ाने का एक नया तरीका मात्र है, इस भावना से ये दर्शक और अतिथि अभिभूत होते थे और उनको जब यह दिखाई देता कि कक्षा में हर बात समवाय से नहीं पढ़ायी जा रही है, बल्कि कई स्थानों पर बिना समवाय के पढ़ाई चल रही है, तो वे नाक भी सिकोड़ते और हमारा मज़ाक करते। स्वभावतः यह मेरे लिए भी एक निराशाप्रद और दुःखद अनुभव होता। मैं विचार में पड़ जाता कि क्या बुनियादी शिक्षा की सच्ची पहचान और बुनियादी शिक्षा का सच्चा समवाय यही है कि हर पाठ, जो कि कक्षा में पढ़ाया जाए, वह ठीक तरह केवल हल या चरखे से जोड़कर सिखाया जाए? क्या गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा इसलिए निकाली कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को तब तक कुछ भी न बता सकें, जब तक कि वह पहले अपनी बात को तकली या हल–बैल से जोड़ न दे? पर मेरे अतिथि और दर्शक लोग तो बुनियादी शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा का फर्क देखे बिना संतुष्ट नहीं हो सकते थे। मैं भी तब इस पर सोचता कि आखिर वह क्या बात है, जिससे मैं इस मदरसे को बुनियादी मदरसा मानता हूं और दूसरे मदरसों को बुनियादी मदरसे मानने को तैयार नहीं हूं।

अंत में मैं अपने दर्शकों से कहता ''क्या पारंपरिक शाला में हम लोग बच्चों से अपना साग स्वयं पैदा कराते थे, क्या बच्चे अपना पानी स्वयं भरते थे, क्या

स्कूल यह व्यवस्था करता था कि विद्यार्थी ठीक से शौच जाना, दातुन करना, स्नान करना, कपड़े धोना, कपड़े की मरम्मत करना, सीना और बटन लगाना, कमरों में झाड़ू लगाना, पानी छानना, कपड़ा बनाना और भोजन पैदा करना और पकाना भी उसी तरह सीखें, जिस प्रकार वे जोड़–बाकी, गुणा–भाग और पढ़ना–लिखना सीखते थे? समवायी शिक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आस्ट्रेलिया के कंगारू के विषय में हम तब तक न बताएं, जब तक कि तकली से उसका समवाय न कर लें। समवायी शिक्षण का अर्थ यह है कि विद्यार्थियों को ऐसी बातों का ज्ञान दिया जाए और ऐसी बातों में उनकी शिक्षा की जाए, जो उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो या जो कि जीवन की बुनियादी बातें हों। पारंपरिक शिक्षा जीवन की बुनियादी बातों को शिक्षा का क्षेत्र नहीं

मानती थी और केवल पढ़ाई–लिखाई तक सीमित थी, जो कि केवल उन लोगों के काम की है, जो सरकार में या अन्यत्र जाकर नौकरी में लगें। पर बुनियादी शिक्षा तो राष्ट्रीय जन–जीवन का उत्थान चाहती है। अतः अगर आप महानुभावों को इस शाला के प्रबन्ध में तथा शिक्षण में यह दिखाई देता हो कि यहां विद्यार्थियों को कोरी किताबी शिक्षा नहीं दी जा रही है, बल्कि ऐसी छोटी–छोटी और बड़ी–बड़ी बातों की भी शिक्षा महत्व के साथ तथा बुद्धि और हृदय के साथ दी जा रही है, जो विद्यार्थी के भौतिक, सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए अत्यावश्यक है, तो आपको यह मानना चाहिए कि यह शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से भिन्न है और इसलिए बुनियादी शिक्षा वही नहीं है, जो कि पारंपरिक शिक्षा थी।''

2. जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा

इस प्रकार मेरे अतिथि और दर्शक किसी सीमा तक संतुष्ट होते और किसी सीमा तक नहीं भी होते थे। पर इस प्रसंग पर विचार करने से मुझे बुनियादी शिक्षा के 'बुनियादी' विशेषण की एक और नई सार्थकता दिखाई दी। प्रथम प्रकरण में बुनियादी शिक्षा का 'बुनियादी' शब्द इस दृष्टि से सार्थक लगा था कि यह शिक्षा शिक्षण की पद्धति की दृष्टि से 'बे–बुनियाद' नहीं है, बल्कि इसको उद्योग, तथा सामाजिक और भौतिक वातावरण अथवा सामाजिक और भौतिक जीवन का आधार या बुनियाद प्राप्त है। दूसरे प्रकरण के अनुसार बुनियादी शिक्षा में 'बुनियादी' शब्द इसलिए सार्थक लगा कि यह शिक्षा हमारे जनतंत्र की बुनियादी आवश्यकता की शिक्षा है और अब तीसरे प्रकरण में बुनियादी शिक्षा का 'बुनियादी' शब्द इसलिए सार्थक लगा कि यह शिक्षा जीवन का ऊपरी अलंकरण मात्र नहीं है, जो कि पारंपरिक शिक्षा रही है बल्कि यह शिक्षा मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और बुनियादी बातों की शिक्षा है। इसी अर्थ को हम दूसरे शब्दों में यों कह सकते है कि बुनियादी शिक्षा जीवन द्वारा जीवन की आजीवन शिक्षा है, क्योंकि यह शिक्षा जब एक बार बाल्यकाल की पाठशाला में शुरू कर

दी जाएगी, तब वह अपने आप ही विद्यार्थी के द्वारा आजीवन चलती रहेगी।

इस प्रकार ध्यान देने से विदित होगा कि पहले प्रकरण में जो अर्थ दिया गया है, वह बुनियादी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक पहलू है। दूसरे प्रकरण में बुनियादी शिक्षा का जो अर्थ दिया गया है, उसे हम बुनियादी शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण कह सकते है और अब इस तीसरे प्रकरण में बुनियादी शिक्षा को जिस दृष्टि से देखा गया है, उसे हम बुनियादी शिक्षा का भौतिक पक्ष कह सकते हैं।

यदि हम पारंपरिक शिक्षा की विषय–वस्तु और उसके सारे ढांचे पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि वह विद्यार्थी और विद्यार्थी के स्थानीय समाज की निश्चित एवं तात्कालिक आवश्यकताओं का कोई लिहाज नहीं करती थी। भारत में उस समय पराधीनता, निर्धनता और बीमारी की समस्याएं जटिल थीं, पर हमारी शिक्षा का ध्यान उस ओर न था। शिक्षा ने इन ज्वलन्त समस्याओं की तरफ से अपनी आंखें मीच रखी थी और शालाओं में वही शब्दों की रटाई चलती थी। यदि किसी प्रदेश में अकाल पड़ जाता या बाढ़ आ जाती, तो तालीम का संबंध उस अकाल या बाढ़ से नहीं जोड़ा जाता था, बल्कि उसी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम और परीक्षा से हमारी पारंपरिक शिक्षा बंधी रहती थी, जो किसी बाह्य हेतु से या किसी बाह्य एवं दूरस्थ अधिकारी से तय की जाती थी। यदि दो गांवों के बीच के रास्ते में बहुत कीचड़ होता और उस कीचड़ से विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को भी आने जाने में कष्ट होता, तो उस कीचड़ को दूर करके राह को सुधार देना पाठ्यक्रम का अथवा शिक्षा का अंतरंग अंग नहीं बन सकता था। इसी तरह यदि बच्चे के घर में या गांव में कोई महामारी हो जाती, तो उसका इलाज करना तालीमी काम नहीं माना जाता था। यदि किसी विद्यार्थी के घर में कोई जन्म, मरण या विवाह होता, तो उन समस्याओं में दिलचस्पी लेना और उनको सुलझाने में सहायता करना तालीम का काम नहीं हो सकता था। यदि किसी के खेत में फसल खराब हो गई और किसी के परिवार में कर्ज हो गया, तो ये समस्याएं शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं रखती थी। यदि बच्चे की आंखें दुख रही है, यदि उसके पेट में तिल्ली बढ़ रही है, यदि उसके नाखून बढ़ रहे हैं, यदि उसके चर्म पर खुजली हो रही है, यदि उसके पांव में नाहरू (नारू) निकल रहा है और यदि उसके कपड़े फटे और मैले हैं या यदि उसे

भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तो ये समस्याएं तालीम में बाधक भले ही मान ली जाती, पर उन्हें तालीम का ही विषय नहीं माना जाता था। ये बातें पाठ्यक्रम का अंग नहीं बन सकती थी। ऐसे बच्चों के प्रति पारंपरिक शिक्षा का बस एक ही रवैया था और वह यह था कि ऐसे बच्चों के लिए अपने विद्यालयों के द्वार बन्द कर दिए जाए और उनसे कह दिया जाय कि शिक्षा है अवश्य पर शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। शिक्षा तो केवल उन्हीं लोगों को मिल सकती है, जो कि अपनी उपर्युक्त समस्याओं

को पहले से हल करके स्कूल में आए। रेल केवल उन्हीं लोगों को सफर में ले जा सकती है, जो स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था स्वयं कर सके और रेल का टिकट खरीद सकें। जो लोग स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं कर सकते और रेल का टिकट नहीं खरीद सकते, उनके लिए रेल की सुविधा है ही नहीं। इसी प्रकार तालीम केवल उन लोगों के लिए थी, जो कि स्वस्थ हों, जो कि साफ रह सकें, जिनकों घर से अवकाश दिया जा सके और जिनके माता–पिता शिक्षा का बहुत सा खर्च उठा सकें। शिक्षा केवल निठल्ले धनिक विद्यार्थियों का व्यसन थी। गरीबों और बीमारों की भी शिक्षा हो सकती है और होनी चाहिए, यह कल्पना पारंपरिक शिक्षा में नहीं थी बल्कि इस विषय में कल्पना यदि कुछ थी, तो यह थी कि विद्यार्थियों को जीवन की समस्याओं से दूर ही दूर रखा जाना चाहिए और उन्हें केवल 'पढ़ने' में लगना चाहिए।

इस परिस्थिति का कारण क्या था? कारण यही था कि पारंपरिक शिक्षा जीवन तथा जीवन की मूल आवश्यकताओं से विसंबद्ध और पृथक थी और धनिकों का एक मनोरंजन एवं अलंकरण मात्र थी। जिस प्रकार समाज में सब लोग सोने–चांदी के आभूषण नहीं पाते थे, उसी प्रकार सब लोग शिक्षा भी नहीं पा सकते थे। निर्धन जनता अपने जीवन की समस्याओं में अथवा नोन तेल लकड़ी के प्रश्न में ही पिसती रहती थी, उसे शिक्षा के लिए न अवकाश था और न सुविधा थी।

बुनियादी शिक्षा के पहले किसी ने यह नहीं कहा कि भूखे की तालीम भी हो सकती है और उसकी तालीम का मतलब है 'रोटी'। बीमार की भी तालीम होती है और उसकी तालीम का नाम है 'स्वास्थ्य'। कंगाल की भी तालीम हो सकती है और उसकी तालीम का नाम है 'उद्योग'। घिनौने की भी तालीम हो सकती है और उसकी तालीम का नाम है 'स्वच्छता'। पारंपरिक शिक्षा की दृष्टि यह है कि जीवन की मूल आवश्यकताएं और समस्याएं शिक्षा में बाध्य हैं और जब तक ये समस्याएं किसी अन्य उपाय से पूर्वमेव हल न कर ली जाए, तब तक शिक्षा शुरू ही नहीं हो सकती। बुनियादी शिक्षा की दृष्टि यह है कि जीवन की मूल समस्याएं और जीवन की मूल आवश्यकताएं ही शिक्षा की मूल प्रेरणा, शिक्षा का मूल स्त्रोत और शिक्षा का वास्तविक विषय और क्षेत्र हैं और इसलिए शिक्षा का कार्यक्रम यह कहकर स्थगित नहीं किया जाना चाहिए कि देश की आर्थिक प्रगति नहीं हुई है। यदि देश की आर्थिक प्रगति नहीं हुई है तो तालीम पर यह भार डाला जाना चाहिए कि वह देश की आर्थिक प्रगति करें। यदि देश में स्वास्थ्य की समस्या है, तो शिक्षा पर यह भार डाला जाना चाहिए कि वह देश के स्वास्थ्य सुधार में सबसे अधिक काम करें। यदि देश में सांप्रदायिक मनमुटाव और झगड़ों की समस्या है, तो तालीम पर यह भार डालिए कि वह सांप्रदायिक एकता पैदा करें। यदि राष्ट्र में खेती का सुधार करना आवश्यक है, तो यह काम शिक्षा को सौंपिए। यदि देश में जंगल लगाए जाने हैं, तो शिक्षा इस काम के प्रति उदास नहीं रह सकती। यदि देश में खाद की कमी है और हमारे यहां गंदगी और घिनौनेपन का बोलबाला है, तो तालीम का यह काम है कि देशवासियों को ठीक से शौच जाना और मल मूत्र की खाद बनाना सिखाए। तालीम को किताबों, परीक्षाओं और डिग्रियों में कैद कर देना तालीम का गला घोटना है। तालीम को राष्ट्रीय जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओं की आंच लगने से बचाकर दूर–दूर रखना तालीम को निष्प्रभ और निर्जीव बनाना है। शिक्षा पूर्ण जीवन की समग्रता से ओतप्रोत है। बुनियादी शिक्षा इसीलिए बुनियादी है कि वह जीवन की बुनियादी बातों को तालीम का मुख्य अंग मानती है और बुनियादी शिक्षा इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा है कि वह हमारे राष्ट्र की मूल और ज्वलन्त

समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से अपना कार्यक्रम निर्धारित करती है।

3. बुनियादी शिक्षा धनिकों के लिए अहितकारी नहीं

यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। हमारे देश में जो लोग पहले से धनवान या वैभवशाली हैं, वे कह सकते हैं कि हमारे पास अन्न–वस्त्र और स्वास्थ्य तथा महल पहले से विद्यमान हैं। हम अपने बच्चों को कष्ट नहीं देंगे। हम तो सिर्फ पढ़ाई–लिखाई, संगीत नाटक, कविता–भाषण, वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान और साहित्य संस्कृति में ही अपने बच्चों को लगाएंगे। हम तो अपने बच्चों को आला दर्जे की बातें ही देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे टेनिस, क्रिकेट और बैडमिन्टन खेले और हमारे बच्चे झाड़ू, टोकरी, फावड़ा, कुदाली, हल, बैल, तकली, चरखा, चूल्हा, चक्की, बाल्टी और रस्सी आदि को छुएं भी नहीं। हम तो अपने बच्चों को पैदल चलाना भी नहीं चाहते, बल्कि हमारे बच्चों के लिए तो साइकिल भी अशोभनीय है। हम तो उन्हें केवल मोटर में ही घुमाना चाहते हैं। हम विद्यार्थियों को खादी पहनाना या कताई सिखाना व्यर्थ समझते हैं। हम उनके लिए मिल के बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीद सकते हैं। फिर क्या आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को इस बुनियादी शिक्षा में डालें?

और यह मनोवृति केवल आज के धनिकों तक ही रह सकती है, यह कोई अनिवार्य बात नहीं है। आज मैं दरिद्र हूं। पर मैं इस कोशिश में ही हूं कि कल मैं धनी हो जाऊं। जब मैं धनी हो जाऊंगा, तो कल मैं भी इसी भाषा में बात कर सकता हूं। इसलिए इस विषय में किसी धनी को कुछ भी बुरा भला कहने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर शांति से विचार किया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में यह धनिकों के स्वार्थ की बात होगी कि उनके बच्चे इस तेजस्वी शिक्षा से वंचित रखे जाए, जिसे हम बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं।

जो भी धनिक है, उसे समझना चाहिए कि उसके धन की बुनियाद पसीना ही है। वास्तव में श्रम ही वास्तविक धन है, और इसलिए जिसे श्रम का अनुभव नहीं है, उसे न धन का और न धनिकता का

ही वास्तविक अनुभव है। धन का समुचित उपयोग वही कर सकता है, जो जानता हो कि उसे किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। अतः धनवानों के लड़के–लड़कियों को भी बाल्यकाल में अपनी शिक्षा के अंग के रूप में निर्धन और श्रमिक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इससे इनका धनिकपन जाता न रहेगा, बल्कि वे धन को ठीक तरह समझ सकेंगे और उसका सदुपयोग करना सीखेंगे। धन का आदर करने का मतलब यह नहीं है कि सोने–चांदी और हीरे जवाहरात के बीच लक्ष्मीजी का चित्र सजाकर उसका दिवाली के दिन पूजन किया जाए और ईश्वर से और अधिक धन की याचना की जाए। धन की इज्जत का मतलब है श्रम और श्रमिक की इज्जत और इसका मतलब है मानवता। आम का स्वाद मीठा हो सकता है, पर उसका पूरा स्वाद प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ

द्रव्य और भी मिलाए जाते है। उसी प्रकार पूंजी के उपभोग में सुख हो सकता है, पर उसका पूरा स्वाद पाने के लिए तथा उसके सुख को बढ़ाने के लिए उसमें श्रम और श्रमिक के आदर का मानवीय रस यदि मिला दिया जाए, तो सोने में सुगंध वाली बात चरितार्थ होती है। कृष्ण को अपने गुरू गृह के लिए स्वयं ही लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। पर वे स्वयं लकड़ी चुनने के लिए गए और उन्होंने दरिद्र सुदामा से अपना तादात्म्य स्थापित किया। दरिद्र सुदामा की मित्रता कृष्ण के जीवन की कितना बड़ा ऐश्वर्य थी। सुदामा की मित्रता के बिना क्या कृष्ण का जीवन उनके विशाल ऐश्वर्य के बावजूद कंगाल न होता?

वर्तमान धनिकों को यह भी समझना चाहिए कि विद्या की प्राप्ति विजय और अनुभव से होती है, न कि धन से। विद्या से मेरा मतलब 'ठगविद्या' से नहीं है, जिसमें धनिक वर्ग को विशेष योग्यता प्राप्त है। विद्या से मतलब मानवता से है, आत्मविद्या से है। यह मानवता तो जीवन का अनुभव प्राप्त करने से ही आ सकती है। जीवन का अनुभव जीवन की मूल और बुनियादी बातों के अनुभव से ही हो सकता है। जीवन की मूल बातों में गरीब और अमीर सभी लोग समान है। फिर भी अमीर का जीवन परिश्रम से रहित अर्थात कृत्रिम होता है। ऐसे कृत्रिम जीवन के कारण अमीर लोग गरीबों के जीवन के साथ कोई एकता स्थापित नहीं कर पाते। अमीर समझता है कि परिश्रम से बचना उसके ऐश्वर्य का लक्षण है, जिस पर उसे गर्व होना चाहिए। पर यदि एक अमीर अपने धन के बावजूद जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कामों का अनुभव प्राप्त कर लेगा, तो वह इस योग्य होगा कि अपने धन का वास्तविक शासक हो। ऐसा न करने से वास्तव में वह अपने धन का मालिक नहीं, बल्कि अपने धन का गुलाम बनकर ही जीता है। हां, यह बात अवश्य है कि आज के धन के गुलाम लोगों को यह भ्रांति बनी हुई है कि वे मालिक हैं। इस भ्रांति से निकलकर धन के वास्तविक मालिक बनने के लिए यह अच्छा होगा कि हमारे देश के धनिक लोग अपने बच्चों की बुनियादी तालीम कराएं अर्थात् अपने बच्चों को श्रम में निहित धन का प्रत्यक्ष अनुभव करने दें। इससे उनकी भौतिक समृद्धि में कोई हानि न होगी, बल्कि इससे उनकी दिल की दुनिया भी आबाद होगी, उनकी तिजोरियां ही भरी न होगी, बल्कि उनका दिल का खजाना भी भर जाएगा। पाठक जानते होंगे कि इंग्लैड के भावी शासकों का बाल्यकालीन प्रशिक्षण इस ढंग से किया जाता है कि वे शरीर श्रम और कठोर जीवन का अभ्यास कर सकें। इस तरह का अवसर मिलने से उन भावी सम्राटों को कोई हानि नहीं होती, बल्कि बाल्यकाल के उन अनुभवों के कारण उनका जीवन और अधिक समृद्ध होता है।

परन्तु यह विषय केवल धनिकों का वर्गगत प्रश्न नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न है। धनिकों एवं निर्धनों का पृथक वर्ग होने से तथा प्रत्यक्ष उत्पादन से नहीं, बल्कि धन को पैदा करने वाले लोगों का शोषण करके धनी बनने की छूट होने से हमारे देश का राष्ट्रीय दृष्टि से महान अहित हुआ है हमारा देश विज्ञान में इसलिए इतना पिछड़ा हुआ रहा कि हमारी विद्या हमारे जीवन की मौलिक और भौतिक आवश्यकताओं से पृथक हो गई। रोटी, कपड़े और मकान, स्वास्थ्य और राष्ट्र की भौतिक उन्नति से शिक्षा का कोई संबंध नहीं रहा। शिक्षा जीवन से दूर जा पड़ी और इसका परिणाम यह हुआ कि यह सोने की चिड़िया (भारत) अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकी। हमारा ऐश्वर्य निःसत्व एवं गुलाम बन गया। अतः यदि हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास की पुनरावृति को रोकना है और यदि समृद्धि और ऐश्वर्य के बीचों–बीच हमें

अपने राष्ट्रीय सत्व और पौरूष की रक्षा करनी है, तो धनवानों को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वे जीवन की बुनियादी बातों की तालीम से बचकर कोमलांग लखनवी नवाब बन जाए। धनवान होना पुरूषार्थहीन होने का बहाना बनने नहीं दिया जा सकता। यह न तो धनिकों के हित में है और न राष्ट्र के हित में। अतः जीवन की बुनियादी बातों और बुनियादी समस्याओं की शिक्षा (अर्थात् बुनियादी शिक्षा) हमारे देश के गरीब और अमीर सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए।

4. शिक्षा का अर्थ 'विकास की दिशा'– ड्यूई

विख्यात अमेरिकन शिक्षाशास्त्री ड्यूई ने तालीम को विकास की दिशा या मानव विकास का मार्गदर्शन माना है। विकास की दिशा किसी पूर्ववर्ती या किसी उत्तरवर्ती सीमा से नियंत्रित नहीं होती। जिस प्रकार सुदूरपूर्व जापान में भी पूर्व दिशा की तरफ बढ़ा जा सकता है और सुदूर पश्चिम अमेरिका में भी पूर्वदिशा की ओर बढ़ा जा सकता है, उसी तरह कोई व्यक्ति या समाज पतन के गहरे गर्त से भी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है और उन्नति के स्वर्णयुग से भी आगे बढ़कर विकास की दिशा में जा सकता है। अतः तालीम की गुंजाइश दीन और दरिद्र लोगों के लिए भी उसी तरह है, जिस तरह कि उसकी गुंजाइश सुविकसित धनिकों के लिए। जो शिक्षा केवल एक स्तरविशेष के बालकों की ही शिक्षा कर सकती है और असमर्थ और असहाय बालकों को साथ लेकर नहीं चल सकती, वह सच्ची तालीम या उन्नति की सच्ची शिक्षा नहीं है। बुनियादी शिक्षा इसलिए सच्ची तालीम है और इसीलिए वह ड्यूई की शिक्षा कसौटी पर भी खरी उतरती है कि वह विद्यार्थी से यह नहीं कहती कि पहले तुम अमुक सीमा तक उन्नति कर ही डालो और तभी तुम्हारी शिक्षा हो सकेगी। बुनियादी शिक्षा विद्यार्थी की तालीम उसी स्थान और उसी समय से शुरू मानती है, जहां जिस समय वह विद्यार्थी खड़ा हो। यही उसकी विशेषता है और इसी विशेषता के कारण वह बुनियादी शिक्षा मानी जा सकती है।

5. समग्र नित–नई तालीम

विनोबाजी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में जो कुछ कहा है, उसमें उनका यह कथन मुख्य है कि बुनियादी शिक्षा 'समग्र और नित–नई– तालीम' है। उनका यह कथन इसी बात की पुष्टि करता है कि बुनियादी शिक्षा जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा है। समग्र शिक्षा का अर्थ यही है कि बुनियादी शिक्षा जीवन के किसी एकांग को शिक्षा का क्षेत्र नहीं मानती, जैसा कि पारंपरिक शिक्षा में केवल बौद्धिक ज्ञान को पूरी शिक्षा मान लिया जाता था। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा में शिक्षा को अलग–अलग विषयों में विभक्त दृष्टि से देखा जाता था और यह नहीं माना जाता था कि जीवन में एकत्व है और इसलिए विभिन्न विषय भी एकत्व में पिरोए जाने चाहिए। मनुष्य का जीवन एक समग्र वस्तु है और इसलिए उसकी शिक्षा भी समग्र या अविभक्त रूप में होनी चाहिए। यह समवायी दृष्टि भी बुनियादी शिक्षा में है, इसलिए विनोबाजी ने बुनियादी शिक्षा को समग्र शिक्षा कहा है। विनोबाजी का दूसरा कथन कि बुनियादी शिक्षा को केवल नई तालीम ही नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि उसके बारे में प्रसिद्ध है। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यह कहा जाना अधिक उपयुक्त होगा कि बुनियादी शिक्षा नित–नई तालीम है। विनोबाजी के इस कथन से भी वास्तव में इसी बात की पुष्टि होती है कि बुनियादी शिक्षा जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा है और (ड्यूई के अनुसार) ऐसी शिक्षा है, जिसका प्रारंभ और अंत किसी सीमा से निर्धारित नहीं है, बल्कि जो विद्यार्थी की जब जैसी स्थिति हो और उस समय जैसी उसकी आवश्यकता हो, उसी के अनुसार उसकी शिक्षा की जाए। जैसे–जैसे परिस्थितियां

और विद्यार्थी की आवश्यकताएं बदलती जाएगी, वैसे–वैसे शिक्षा भी बदलकर नित–नूतन होती जाएगी। गांधी जी ने जो यह कहा था कि बुनियादी शिक्षा वह शिक्षा है, जो कि मां के गर्भ से लेकर आजीवन तथा श्मशान तक चलती रहती है, उसमें भी भावना यही है कि बुनियादी शिक्षा जीवन की मूल बातों की शिक्षा है और क्योंकि जीवन की मूल बातें माता के गर्भ से लगाकर मृत्युपर्यन्त साथ ही हैं, इसीलिए बुनियादी शिक्षा भी जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा है।

6. उपसंहार

जहां भी जो भी महानुभाव बुनियादी शिक्षा का काम करें, वे बहुत ही अच्छा काम करेंगे, यदि वे इस बात को समझ लें कि बुनियादी शिक्षा जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बुनियादी शिक्षा में जीवन के अलंकार या सौन्दर्य के प्रति उदासीनता रहनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि शिक्षा का खास काम मानव जीवन की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को सुलझाना है और इन समस्याओं को सुलझाने में ही जीवन का सौन्दर्य भी ढूंढ़ा जाना चाहिए। जीवन का सौन्दर्य और जीवन की कठोर वास्तविकताएं इन दोनों का क्षेत्र भिन्न–भिन्न नहीं होना चाहिए, जैसा कि वह आज है। आज कुछ लोग केवल सौन्दर्योपासना में लगे हुए हैं और कुछ केवल जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम करते हैं। इस तरह दोनों का जीवन एकांगी और अपूर्ण हैं। व्यक्ति और समाज की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, जिसका संबंध शिक्षा से न हो और जिससे शिक्षा को परहेज हो। जो समस्या जिस समय जीवन से जितनी निकट है, उस समय वह उतनी ही बुनियादी शिक्षा की समस्या है।

हमारे पारंपरिक स्कूलों का वर्तमान पाठ्यक्रम ऐसा है कि उसमें बहुत सी बातें जनसामान्य के सामान्य जीवन के लिए कोई महत्व नहीं रखती और उस पाठ्यक्रम के बाहर ऐसी बहुत–सी बातें छूटी हुई है, जो सामान्य जन के जीवन के साफल्य के लिए अत्यावश्यक है। बुनियादी शाला का यह काम है कि वह पाठ्यक्रम को इस दृष्टि से निरन्तर दुरस्त करती रहे कि कौन सी जीवनोपयोगी बातें ऐसी हैं, जो कि एक विद्यार्थी को अवश्यक रूप से जाननी चाहिए, और जिनका अभ्यास उन्हें अवश्य होना चाहिए। ध्यान में रखने की मुख्य बात यह है कि बुनियादी शिक्षा को विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा की तैयारी मात्र समझने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। आज प्राईमरी शिक्षा तो माध्यमिक शिक्षा की तैयारी है और माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय की शिक्षा की तैयारी है और ये सारी ही शिक्षाएं केवल नौकरी में बाजी जीतने की तैयारी है। बुनियादी शाला की कसौटी यह है कि वह उच्चतर शिक्षा की पिछलग्गू साबित न हो, जैसा कि उसे बनाया जाता रहा है। वास्तव में जो उच्च शिक्षा है, उसी को चाहिए कि अपने आपको बुनियादी शिक्षा के अनुसार ढाले। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम या शिक्षाक्रम केवल एक ही दृष्टि से बनाया जाना चाहिए और वह दृष्टि यह है कि जिस क्षेत्र में बच्चा जी रहा है, वहां वह एक सामान्य नागरिक की स्थिति में तथा एक सामान्य मनुष्य के रूप में अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन भली प्रकार बिता सके। इसके लिए विनोबाजी का दिया हुआ शब्द 'समग्र' बहुत ही उपयोगी है। पारंपरिक शिक्षा मानव जीवन की आंशिक और विच्छिन्न शिक्षा थी, जिसके विरूद्ध बुनियादी शिक्षा मानव जीवन की संपूर्ण तथा संयुक्त शिक्षा है। जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा, जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा, जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा, समग्र शिक्षा, नित–नवीन शिक्षा आदि परिभाषाओं का यही अर्थ है।

अनुभव

हाथ से काम करने का सुख

वि. वि. सिंह

मैं संभवतः दूसरी कक्षा में थी, मेरी अध्यापिका ने कक्षा में आकर कहा, 'आज हम लोग चटाई बनाएंगे। चिकने पेपर को चौकोर–चौकोर टुकड़ों में काट कर चारों ओर बॉर्डर सा छोड़कर लम्बवत् धारियों में कटिंग की हुई थी और हमें दूसरे रंग की कटी हुई पट्टियों से चटाई बनानी थी अर्थात् एक ऊपर एक नीचे। अगली पंक्ति में यह क्रम बदलना था अर्थात् नीचे वाली पंक्ति ऊपर, ऊपर वाली नीचे। बड़ा आनन्द आ रहा था और जब चटाई पूरी बन गई, तब दो कन्ट्रास्ट रंगों में वह बड़ी सुन्दर दिख रही थी और आज भी उसकी छवि मेरे स्मृति पटल पर अंकित है।

कागज़ को मोड़कर, काटकर, चिपकाकर तरह–तरह की आकृतियां या चीज़ें बनाना हर बच्चे को पसंद आता है। एक साधारण से कागज़ से नाव बनाकर उसे पानी में तैराना या हवाई जहाज बनाकर उड़ाना शायद हर बच्चे का मनपंसद काम होगा।

कक्षा 3 में कुछ टांके लगाना व कक्षा 5 तक आते–आते हमने कढ़ाई की कुछ Stitches सीख ली थी और यह कालांश मुझे प्रिय हुआ करता था। एक बैग पर अलग–अलग रंगों के धागों से की गई कढ़ाई उस कक्षा की मेरी उपलब्धि थी।

बचपन की उस ट्रेनिंग के कारण पढ़ाई के साथ–साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया, चित्रकारी मेरे शौक बन गए। गांधीजी के शब्दों में – ''जब मेरे हाथ

काम करने लगते हैं और मैं हाथों के ज़रिए कुछ सीखने की कोशिश करता हूं तो वह मेरी जिन्दगी में संगीत का काम करता है।''

अध्यापिका बनने पर मेरा यह विश्वास बना कि हाथ से तरह–तरह के काम करने व विविध गतिविधियों में भागीदारी करने से पढ़ाई पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे की रूचि है तो वह अपनी पढ़ाई करते हुए इन सब के लिए भी समय निकाल लेता है। अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चों को एक आत्मसंतोष और खुशी की अनुभूति होती है जिससे उनकी सृजनात्मकता का विकास तो होता ही है, और साथ ही वे अधिक कार्य करने की ओर उन्मुख होते हैं।

यहां मैं विद्या भवन में अध्यापिका एवं प्रधानाध्यापिका के रूप में प्राप्त अपने अनुभवों का जिक्र करना चाहूंगी।

जूनियर स्कूल कक्षा 3, 4 व 5 के लिए हमने स्टाफ मीटिंग में चर्चा करके समय चक्र में अंतिम कालांश के लिए कुछ गतिविधियां आयोजित की। इस हेतु कुछ समूह बनाए गए। एक समूह में सृजनात्मक लेखन, अच्छी कविताओं, गद्य पंक्तियों, वचनों का संकलन, भित्ति पत्रिका निकालना, आदि कार्य निर्धारित थे। दूसरे समूह में श्रम कार्य, जिसके अन्तर्गत सफाई, बागवानी सम्मिलित थे, फूलों, वृक्षों के नाम जानना और पत्तियों का संकलन आदि करना था। कुछ क्राफ्ट वर्क भी इसमें शामिल था। बच्चे सूखी लकड़ी, पत्तियों, फूल, पक्षियों के गिरे हुए पंखों को एकत्र कर सामूहिक प्रयास या अकेले खुद के प्रयास से सुन्दर कलाकृतियां बनाते। एक समूह में ऐसे बच्चे जिन्हें गणित या भाषा में कुछ दिक्कत थी, उन्हें रखा गया और उनकी कमज़ोरी को दूर करने के अलग–अलग प्रयास करने थे। इस समूह में बच्चों के कक्षा स्तर तक आने पर, अपनी इच्छा से उपर्युक्त समूह में सम्मिलित होने की व्यवस्था थी।

मैंने ऐसा अनुभव किया कि इस कालांश में बच्चों को बहुत मज़ा आता था। एक समूह द्वारा पाक्षिक

भित्ति पत्रिका निकाली जाने लगी। कई बार यह मासिक स्तर पर भी निकाली जाती, किन्तु बच्चे स्वयं पुस्तकालय से अखबार, पत्रिकाओं व किताबों से सामग्री एकत्र करते, अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन में उसे शीट पर लिखते, कुछ चित्र बनाते और यह सब करते हुए उनका उत्साह देखते बनता था।

होली के अवसर पर छुट्टी के एक दिन पूर्व सीनियर कक्षाओं के बच्चे रंग लेकर आते और अंतिम 1–2 कालांश में एक दूसरे के लगाते। धीरे–धीरे इसने एक हुड़दंग का रूप ले लिया। समयावधि भी कुछ बढ़ गई। उन्हें देखकर कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चे भी वही सब करने लगे। बच्चों के उत्साह को एक सही मोड़ देने, जिससे उनमें सृजनात्मकता विकसित हो और बच्चे अपने लाए हुए रंगों का उपयोग भी कर सके, शिक्षकों से बातचीत करके हम लोगों ने इसे एक नया रूप

दिया। बच्चों को बताया गया कि वे जो रंग लेकर आएंगे उसे संभालकर रखें। अंतिम दो कालांशों में उन्हें अपनी–अपनी कक्षा के सामने मिलकर रंगोली बनानी है। सीनियर व नर्सरी के बच्चे व शिक्षक उसे देखने आएंगे और 3 शिक्षक निर्णायक के रूप में कक्षाओं को I, II, III स्थान देंगे। वे लोग अपने रंग बर्बाद न करें, जितने ज्यादा रंग होंगे, उतने अपनी सज्जा में उनका इस्तेमाल कर सकेंगे।

होली के दो दिन के अवकाश से पूर्व का दिन था। बच्चों के चेहरे चमक रहे थे। प्रार्थना सभा में यह निर्देश भी दे दिए गए कि 6 कालांश तक पूरी पढ़ाई होगी। सातवां कालांश लगते ही रंगोली बनाना शुरू करना है। जिस कक्षा के बच्चे उससे पहले एक दूसरे के रंग लगाएंगे, उस कक्षा को रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित होना पड़ेगा। ऐसी आशा थी कि कुछ चंचल व शरारती बच्चे शायद रंग जरूर लगाएंगे, किन्तु पूरी कक्षा का ऐसा दबाव बना कि ऐसा नहीं हुआ।

छठे कालांश पश्चात् बच्चे बड़े उत्साह और फुर्ती से अपने काम में लग गए। कुछ ने स्वयं सोचकर झाड़ू लाकर अपनी कक्षा के सामने सफाई कर ली। उन्हें देखकर दूसरों ने भी उनका अनुकरण किया। बच्चे मिलकर रंगोली बनाने में जुट गए। स्थान सीमित था। एक कक्षा ने एक ही बड़ी सी रंगोली बनाई। कुछ 5–6 के समूह में कुछ छोटी आकृतियां बनाकर रंग भरने लगे। 2–4 ऐसी बच्चियां/बच्चे भी दिखे जो अकेले ही रंगोली बना रहे थे।

पूरा बरामद रंगमय हो उठा। एक गलियारा, चौक से लाइन खींचकर आने वालों के चलने के लिए छोड़ा गया था। बच्चे काम में जुटे थे। आने वाले उन्हें देखते, अपने सुझाव देते, प्रशंसा करते, बच्चों को प्रोत्साहित करते। समाप्ति पर 3 शिक्षकों ने पूरी कक्षा के काम के आधार पर I, II, III स्थान दिए, जिसे अगले दिन असेम्बली में announce किया जाना था। बच्चे तो अपना काम करके छुट्टी की घण्टी बजने पर जाने से पहले बचे हुए रंगों को एक–दूसरे को लगा कर आनन्द ले रहे थे। मैं निर्णायकों के साथ ऑफिस की तरफ आ गई थी। कुछ समय बाद, बाहर निकलने पर देखती हूं बच्चे एक दूसरे की बनाई रंगोलियों को पैरों से मिटाकर घर चल दिए थे। कुछ समय पूर्व चटक रंगों से सजा बरामदा उजड़ी हालत में, विध्वंस प्रवृत्ति का प्रतीक सा नज़र आया। मुझे अन्दर तक बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोचा इस प्रवृति से बच्चों में मिलकर काम करने की भावना विकसित हुई, कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिला, किन्तु सौन्दर्य बोध की कमी रही। अच्छी चीज़ों को, कलात्मक वस्तुओं को देखकर खुशी महसूस करने, उसे सराहने की भी जरूरत है।

अगले दिन रिजल्ट बताने के साथ ही मैंने बच्चों से इस बारे में भी बात की कि 'हमें दूसरों की बनाई रंगोली को देखकर विचार लेने चाहिए थे। कम से

कम अच्छी चीज़ों को देखकर उन्हें सराहने की आदत बनानी चाहिए। बनी हुई सुन्दर रंगोलियों को मिटाने से हमें क्या मिला? अपने साथियों की बनाई चीज़ को तुम लोग बिगाड़ कैसे सके?' बच्चों को समझाने, सही दिशा निर्देश देने का असर जरूर होता है। फिर तो यह रंगोली सज्जा होली से पूर्व का एक स्थाई विचार बन गया। अगले वर्ष बिगाड़ने की पुनरावृत्ति नहीं हुई, इससे मुझे बहुत सुकून मिला।

एक वर्ष हम लोगों ने यह प्रोजेक्ट लिया कि बेकार या अनुपयोगी चीज़ों से कुछ मॉडल, कोई कलाकृति या काम की चीज़ें बनानी है। बच्चों को कहा गया कि वे अपने घर से बेकार पड़ी चीज़ें, गत्ते के खाली डिब्बे आदि ले आएं। फिर क्या था एक सप्ताह में तो ऐसी चीज़ों की ढेरी लग गई। दल–अध्यापकों ने परामर्शक की भूमिका निभाई। गोंद, फेवीकॉल, स्टेपलर–पिन्स, सुतली आदि की मदद से बच्चों ने बड़ी सुन्दर व कुछ काम की चीज़ें यथा पेन–पैन्सिल स्टैण्ड, बुक रैक, चित्र बनाए। गत्ते के डिब्बों से टी.वी., ट्रांजिस्टर, बस, घर आदि के मॉडल बनाए। एक कक्षा के बच्चों ने आदर्श गांव का मॉडल तैयार किया, जिसमें डिब्बों से बनी व गेरू के रंग से रंगी झोपड़ियां, स्कूल, पंचायत भवन, दूकानें, चिकित्सालय, बस स्टैण्ड था। सड़कों की जगह रेती बिछा दी गई थी।

एक कक्षा में घर के विभिन्न मॉडल बनाए गए थे। अलग–अलग तरह की झोपड़ियां जैसे चौकोर, गोलाकार, फूस की छत वाली, बर्फ में बनने वाले एस्किमों लोगों के विशेष आकृति वाले घर आदि।

बहुत ही कम खर्च में इतनी सुन्दर चीज़ें तैयार थी और बच्चे अपने हाथों से बनाई चीज़ें अभिभावकों को दिखने के लिए लालायित थे, अतः अभिभावक दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे अभिभावकों ने भी अत्यधिक सराहा।

बच्चे रोज़ ही अपना लंच बॉक्स लाते हैं। कक्षा दूसरी की अध्यापिका ने सोचा कि बच्चे खुद स्कूल में एक दिन खिचड़ी बनाएं। शनिवार को बाल सभा होती है, वही दिन तय रहा। बच्चों को एक दिन पूर्व कहा गया कि वे टिफिन न लाएं। सिर्फ एक मुट्ठी चावल, एक आलू व एक प्याज़ ही लेकर आना है। कल हम लोग मिलकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बच्चे इस बात से ही काफी उत्साहित हो उठे। खुश होकर चिल्लाने लगे 'कल टिफिन नहीं लाना है।' मैं सोचने लगी कि रोजमर्रा में थोड़े से परिवर्तन से भी खुशी मिलती है।

अब अगले दिन बच्चे बस्ते में वे चीज़ें – अपनी छोटी मुट्ठी भर चावल, आलू और प्याज़ लेकर पहुंचे। कक्षा में एक कोने में सामग्री एकत्र की गई। एक भगोने में चावल रखा गया। हर तरह के चावल के नमूने थे बासमती से लेकर मोटा चावल, और

राशन का चावल भी उसमें शामिल था।

स्कूल का कैम्पस बहुत बड़ा है। कैम्पस में बड़े–बड़े पेड़ झाड़ियां हैं। 5–6 बच्चों के एक समूह को सूखी लकड़ियां बीनकर लाने का काम सौंपा गया। 2–3 ने मिट्टी खोदकर, पत्थर इकट्ठा करके चपरासी की मदद से चूल्हा तैयार किया।

बच्चियां बड़े मनोयोग से चावल बीनने, आलू, प्याज़ छीलने में जुट गई। तेल व मसाले स्कूल से मंगा लिए गए थे। कक्षाध्यापिका के निर्देशन में, चपरासी की मदद से बड़े भगोने में खिचड़ी बनाई गई और सबने बड़े चाव से खाई। कक्षा 3 से आगे तो बच्चों को कैम्प में इस तरह के अनुभव मिलते है, किन्तु छोटी कक्षा में यह एक शुरूआत थी। इस आनन्ददायी अनुभव के लिए भी फिर प्रति वर्ष एक दिन तय रहा।

जब बच्चा अपने व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत छोटे–छोटे काम अपने हाथ से करता है तो उसके स्नायु तंत्र के विकास के साथ–साथ उसे एक आत्मसंतोष मिलता है और उसमें कोई भी काम कर पाने का आत्मविश्वास पैदा होता है। ये काम छोटी आयु में कोई भी चीज़ लाने, उठाकर रखने या किसी को देकर आने से शुरू होकर अपने कपड़े व जूते सही जगह रखने, अपने बिस्तर समेटने, अपने बर्तन उठाने–रखने से आगे खुद अपने कपड़े, बर्तन धोने, अपना सामान उठाने, परोसकारी करने तक का हो सकता है।

रात्रि कैम्प, और विशेषकर 8–9 दिन की वनशाला के दरमियान मैंने यह अनुभव किया कि बच्चों से यदि कार्य करवाया जाता है तो अनेकानेक फायदों के साथ सबसे बड़ी बात है कि वे आनन्द का अनुभव करते हैं और अपने हाथ से काम करने की आदत बनती है।

कक्षा 4–5 के बच्चों को जब पहली बार वनशाला ले जाने की तैयारी शुरू होती तो उन्हें बताया जाता कि अपना सामान उन्हें खुद उठाना है, अपने कपड़े स्वयं धोने हैं, बर्तन खुद साफ करने हैं। बच्चे यह सब सुनकर कहीं से परेशान नज़र नहीं आते किन्तु day-scholar बच्चों के ऐसे तमाम अभिभावकों की दुश्चिन्ताओं व सवालों के जवाब हमें देने पड़ते जैसे– 'इसने तो कभी अपने कपड़े धोए नहीं, ये कैसे धोएगा? अपनी अटैची और बेडिंग अकेला कैसे उठाएगा?' हम उन्हें बताते – सब हो जाता है, वर्षों से हो रहा है। कुछ बच्चों ने अपनी अटैची उठाई, रख आया फिर अपने साथी की मदद ली और दो ने उठाकर बैडिंग जगह पर पहुंचा दिया वापस आकर फिर दूसरे का बैडिंग उठा लिया। बच्चे अपनी सूझबूझ से, सहयोग से सब व्यवस्था कर लेते थे।

कपड़े धोते यह जरूर होता कि वे अपने कपड़े धोकर सुखाने ले गए, साबुनदानी वहीं छोड़ दी। कपड़े धोकर सुखा दिए, उठाना भूल गए। वह सब समेट कर बाद में बच्चों तक पहुंचा दिया जाता।

अपने बर्तन साफ करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता। कुछ बच्चे तो खूब चमकाने की कोशिश करते। एक बच्चे की मुझे याद है, वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से नया–नया आया था। उसकी शरारतें, मारपीट की शिकायतें आना आम बात थी। समूह में करवाए जाने वाले किसी काम में उसकी रूचि नहीं होती। अपनी अटैची में सामान जमाकर वह उसे अपने पास रखकर उसकी रखवाली सी करता रहता। दूसरे बच्चे जब कोई चार्ट बना रहे होते, मिलकर कोई नक्शा बनाते, लेख लिखते वह उनके साथ छेड़खानी सी करता रहता। एक दिन भोजनोपरान्त मेरी उस पर नज़र पड़ी तो देखा बड़े मनोयोग से वह अपनी थाली, कटोरियां, गिलास मिट्टी से चमका रहा था। चेहरे पर

बड़े अच्छे से भाव विद्यमान थे। मैंने पास जाकर कहा, 'अरे तुमने तो बर्तन खूब साफ मांज लिए हैं।' उसके चेहरे पर चमक आई। कक्षा–कक्ष में तो उसे कभी प्रंशसा सुनने का अवसर मिलता न होगा। दूसरे दिन देखा, दूर बैठा बर्तन साफ करते–करते वह बार–बार मेरी ओर देख रहा है। मैं उसकी मनोभावना समझ गई। वह चाहता था कि मैं फिर उसके पास जाकर उसके कृत्य की प्रशंसा करूं। मैंने किया भी। वनशाला में हम शिक्षक भी स्वयं अपने बर्तन साफ करते हैं। तीसरे दिन वह मेरे पास आकर बोला, आप अपने बर्तन मुझे दे दीजिए मैं चमका दूंगा। मैंने कहा, 'बेटा अपने बर्तन तो हम खुद साफ करते हैं।'

मेरा यह अवलोकन रहा कि इसके बाद उसकी विनाशकारी हरकतें कुछ कम हुई। यानि किसी काम को करके प्रशंसा पाने पर उसे अच्छा लगा। उसमें यह विश्वास जगा कि वह भी कोई काम अच्छा कर सकता है, उसे भी शाबाशी मिल सकती है।

वनशाला स्थल की सफाई व सज्जा भी बच्चे बड़ी रूचि से करते हैं। काम बारी–बारी से करने की सीख दी जाती पर देखने में आता कुछ बच्चे रोज़ झाड़ू लेकर सफाई करना चाहते। अपने सामान को तरीके से जमाते, वहीं उपलब्ध साधारण वस्तुओं से थोड़ी बहुत सजावट भी कर लेते।

वनशाला में भोजन के लिए टाटपट्टी पर पंक्तिबद्ध सभी बच्चे बैठ जाते हैं। एक श्रेणी के बच्चों की परोसकारी की जिम्मेदारी होती है जो बदलती रहती है और वे बच्चे सबसे अन्त में भोजन करते हैं। कक्षा 4–5 के बच्चे यानि 9 से 12 आयु वर्ग के बारे में मैं कई बार सोचती इन्हें भूख लगी होगी। इतनी देर कैसे रूकेंगे, पर देखने में आता वे बहुत उत्साह से इस काम को करते, दौड़–दौड़ कर चीजें लाते, परोसते। काम सौंपने पर बच्चे किसी भी काम को बहुत रूचि व कुशलता से कर लेते हैं। जरूरत है हमें उनकी क्षमताओं में विश्वास हो, हम उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करें किसी काम के बिगड़ने पर उन्हें सिखाएं, समझाएं एवं दिशा–निर्देश दें – इन सबके लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है।

विद्या भवन बुनियादी स्कूल और मेरे अनुभव

काशीराम राव

विद्या भवन बेसिक स्कूल, रामगिरि में जो मैंने बुनियादी शिक्षा ग्रहण की तथा मेरे दैनिक जीवन में आज इस शिक्षा का क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ लिख रहा हूं।

मैने सन् 1972 में बेसिक स्कूल में प्रवेश लिया। वहां की शिक्षा व दैनिक कार्य को देखकर एक–दो साल मुझे कुछ अटपटा सा लगा। लेकिन जब हम तीसरी कक्षा में आए, तब हमें यह महसूस होने लगा कि यह शिक्षा आगे जाकर हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। उस समय स्कूल में मात्र दो चपरासी और एक चौकीदार था। सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना होता था। स्कूल पहुंचकर पूरा दल एक लाइन में खड़ा हो जाता था। फिर दांत और नाखून चेक किए जाते थे। इसके पश्चात् सब छात्र मिलकर एक घंटे के समय में कई नित्य कार्य करते थे, जैसे पानी की टंकी धोना, उसमें लाल दवा डालना, कक्षाओं की सफाई करना, स्कूल की सड़कों पर झाड़ू लगाना, शौचालयों की सफाई करना इत्यादि।

दैनिक कार्यों से मुक्ति के बाद सब छात्र प्रार्थना

स्थल पहुंचते थे। वहां पर पन्द्रह मिनट महापुरूषों के प्रवचन सुनते थे। इसके पश्चात् एक घंटे का पीरियड मिलता था, जिसमें सब छात्र मिलकर तकली के द्वारा सूत कातते थे। काते हुए सूत से दरी, रेजा (चादर) और तौलिया आदि बनाकर बेचे जाते थे। उस समय रूई बाजार से नहीं खरीदी जाती थी बल्कि छात्रों द्वारा ही स्कूल के खेतों में कपास की खेती की जाती थी। कपास से रूई और बिनोले अलग करना, फिर रूई की धुनाई करना और सूत कातना सब छात्रों द्वारा ही किया जाता था।

स्कूल में उद्योग कार्य के दो विकल्प दिए गए थे– सुथारी उद्योग व कताई–बुनाई उद्योग। कक्षा 3 से 8 तक के छात्र इन दोनों में से कोई एक विकल्प चुनकर मिलकर कार्य करते थे। मैंने कताई बुनाई उद्योग व कृषि उद्योग चुना। कृषि उद्योग सब बच्चों के लिए अनिवार्य था।

कृषि उत्पादन व कपड़े और दरी बनाने से जो आय होती थी, उस आय में से खर्चा निकालने के बाद बाकी रकम छात्रों के प्रगति पत्र के विवरण में अंकित कर दी जाती थी। इस रकम की एवज में छात्रों को कक्षा आठ पास करने के बाद टेबल, कुर्सी, दरी, तौलिए व रेजे आदि के रूप में विदाई समारोह के कार्यक्रम में प्रदान की जाती थी। उचित मूल्य स्कूल से श्रेणी कार्य के लिए कैम्प में भी ले जाया जाता था। कैम्प में खाना बनानो, बर्तन धोना आदि कार्य भी छात्रों द्वारा किया जाता था। यह सभी कार्य पढ़ाई के साथ–साथ किए जाते थे।

बुनियादी स्कूल और बुनियादी शिक्षा आज मेरे जीवन को सफल बनाने में सहायक हुई है और घर खर्च चलाने में भी उपयोगी सिद्ध हो रही है। बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही मैंने कृषि कार्य करना सीखा, खाना बनाना, दरी बनाना आदि सीखा। आज इसी शिक्षा के कारण में आस–पास के गांवों मैं खाना बनाने का कार्य करता हूं। वर्तमान में, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। इन सब बातों का पूरा श्रेय मैं बुनियादी शिक्षा व गुरूजन को देता हूं।

वर्तमान समय में अगर शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को लागू किया जाए तो देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बुनियादी शिक्षा सहायक सिद्ध होगी।

बुनियाद

बुनियादी तालीम के केन्द्रीय सिद्धान्त और उनके निहितार्थ

महेश कुमार पी. रावल

गांधी जी के शब्दों में बुनियादी शिक्षा जीवन के लिए शिक्षा है। यह शिक्षा जीवन के सारे पहलुओं को घेरे हुए है। जीवन में कोई भी छोटी–बड़ी बात ऐसी नहीं है जिसका संबंध शिक्षा से न हो। जो शिक्षा बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके वो ही सच्ची बुनियादी शिक्षा कही जा सकती है। बुनियादी शिक्षा का संबंध सामुदायिक जीवन से है। मूलभूत रूप से बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

(1) सामाजिक उद्देश्य (2) व्यक्तिगत उद्देश्य

सामाजिक उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होगी–

- बालकों में न्याय, पारस्परिक सहयोग और रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना।
- बालकों को सुनागरिक बनाना।
- पारस्परिक सहयोग से कार्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों को नष्ट करना।
- बालकों में कर्तव्य बोध और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना।
- प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर सामुदायिक जीवन का अभ्यास कराना।
- उन प्रवृत्तियों को विकसित करना जो शुद्ध और स्वस्थ सामाजिक जीवनयापन में सहायक हों।
- सामाजिक जीवन में समुचित व्यवहार नियमितता, समयानुवर्तिता और संयम की भावना जागृत करना।
- सामुदायिक उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता उत्पन्न करना।

बुनियादी शिक्षा अनुसार स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत विकास का कोई मूल्य नहीं है। गांधी जी के शब्दों में ''मैं वैयक्तिक स्वतंत्रता को मानता हूं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि व्यक्ति निश्चित एक सामाजिक प्राणी है। वह आज की स्थिति में इसीलिए पहुंचा है कि उसने अपने व्यक्तित्व को सामाजिक विकास की आवश्यकताओं से संतुलित किया है''। इस तरह गांधी जी ने वैयक्तिक विकास और सामाजिक विकास को एक दूसरे पर आधारित माना है।

व्यक्तिगत उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होगी–

- बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना।
- बालकों की 'वैज्ञानिक मनोवृति' का विकास करना।
- सत्य के प्रति श्रद्धा, अन्य धर्मो के प्रति आदर और सहिष्णुता का भाव जागृत करना।
- धैर्यवान, निष्पक्ष, साहसी और उदार हृदय बनाना।
- बालकों के चरित्रबल, आत्मबल और बुद्धिबल का विकास करना।
- बालकों में सदाचार की भावना का उदय करना।
- शुद्ध, स्वस्थ और सात्विक व्यक्तिगत जीवनयापन का अभ्यास कराना।
- व्यक्तिगत जीवन में संयम, नियम और समयानुवर्तिता के पालन का अभ्यास कराना।

- बालकों में शांति, प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों में वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का स्वस्थ सामंजस्य है।

बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता

अब हम सोचें कि बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जब हम हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की ओर देखते हैं, तब मालूम होता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई दोष हैं, जैसे–

- वर्तमान शिक्षा व्यावहारिक नहीं है।
- शिक्षा के उद्देश्य सीमित है।
- शिक्षा प्रणाली जीवन से दूर है।
- वह छात्रों का एकांकी विकास करती है।
- प्रतिदिन शिक्षा महंगी होती जा रही है।
- वह छात्रों को श्रम के प्रति घृणा सिखाती है।
- कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तत्वों की अवहेलना हुई है।
- शिक्षा में माध्यम की समस्या है।

इस प्रकार और भी कई दोष बता सकते हैं। जब की बुनियादी शिक्षा में कई विशेषताएं रही है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करती है जैसे–

- बुनियादी शिक्षा मनोविज्ञान को आधार बनाकर दी जाती है। क्रिया द्वारा सीखना, भूल और प्रयास द्वारा सीखना, अनुकरण से सीखना, आत्मसूझ से सीखना आदि बातें उद्योग केन्द्रित बुनियादी शिक्षा में पाई जाती है।
- यह शिक्षा छात्रों को स्वावलम्बी बनाती है। गांधी जी के शब्दों में ''स्वाश्रयिता ही शिक्षा की सच्ची कसौटी है।'' बुनियादी शिक्षा में उद्योग के द्वारा धनोपार्जन की कला सिखला देना ही एक मात्र लक्ष्य नहीं है। उद्योग के द्वारा छात्रों को बहुत कुछ सिखाया जाता है।
- बुनियादी शालाओं की व्यवस्था लोकतंत्र के आदर्शों पर ही की जाती है। सामुदायिक कार्यों, प्रार्थना, भोजन, कृषि, सफाई का प्रशिक्षण इसी उद्देश्य से दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने समाजगत कर्तव्यों का पालन करता है।
- बुनियादी विद्यालयों में बाहर से लादे गए अनुशासन के स्थान में स्वानुशासन को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र स्वयं वर्ग पंचायत, शाला पंचायत आदि की व्यवस्था करते हैं। इस तरह उन्हें लोकतंत्रीय शासन पद्धति से अवगत कराया जाता है।
- बुनियादी शिक्षा 'बेकारी के बीमे' का कार्य करती है। वह उत्पादक उद्योग द्वारा छात्रों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती है। छात्रों में श्रम के प्रति निष्ठा के भाव जागृत होते है।
- बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना है। सामुदायिक जीवन, प्रार्थना, कृषि कार्य, स्वच्छता के कार्य आदि छात्रों में सहयोग, सहपरिश्रम, त्याग, सेवा और प्रेम

की भावना उत्पन्न करते है। समाज के प्रति उनकी उत्तरदायित्व की भावना पुष्ट होती है।

- समवाय बुनियादी शिक्षा की आत्मा है। ''जीवन के लिए और जीवन के द्वारा'' दी जाने वाली बुनियादी शिक्षा में ज्ञान और कर्म दोनों का समुचित समन्वय है।

बुनियादी शिक्षा में सारा ज्ञान किसी उद्योग के द्वारा दिए जाने की व्यवस्था है। बालकों को जो उद्योग सिखाया जाता है उसके द्वारा उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की भी कल्पना की जाती है। बालकों में छिपी हुई शक्तियों को विकसित करने का कार्य उद्योग की सभी क्रियाएं करें, ऐसा सोचा गया है। साथ ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि अन्य विषय उद्योग को केन्द्र मानकर तथा उसके साथ संबंध स्थापित कर पढ़ाए जाएं, यही सच्ची व्यवस्था है। बुनियादी शिक्षा का मूल सिद्धान्त उद्योग द्वारा शिक्षा देना है। उद्योग में क्रिया आवश्यक है। अतः उद्योग द्वारा शिक्षा का अर्थ क्रिया द्वारा शिक्षा होता है। उद्योग की हर क्रिया के साथ विभिन्न विषयों का समवाय सहज होता है।

मान लो आपको बालकों से खेत में काम करवाना है जिसमें खेत की जुताई से लेकर बीज बोने, फसल काटने और फसल की समुचित व्यवस्था करने तक की बातें समवाय के अन्तर्गत आएगी।

समवाय विचारों और कार्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे शारीरिक एवं मानसिक दोनों शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में जिन विषयों का शिक्षण निर्धारित किया जाता है वह विषय बालकों के दैनिक कार्यक्रम से संबंधित होते हैं। वह मानव जीवन के तीनों पहलुओं को घेरे हुए होते हैं, वे पहलू हैं–

(1) प्राकृतिक वातावरण

(2) सामाजिक वातावरण और

(3) मूलोद्योग

प्राकृतिक वातावरण से बालकों को परिचित कराना आवश्यक है, क्योंकि वह उसमें जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है। प्रकृति ही उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मूलोद्योग की क्रिया करने के साधन भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अतः प्रकृति परिचय अपेक्षित है।

दूसरा केन्द्र सामाजिक वातावरण है। बालक समाज में रहता है उसमें उसका विकास होता है। वह सामाजिक जीवनयापन करता है। क्रिया द्वारा उत्पादित सामग्री का उपयोग भी समाज करता है। इसलिए बालक को समाज की आवश्यकताओं, उसके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराना आवश्यक है।

तीसरा केन्द्र मूलोद्योग है। मूलोद्योग के बिना प्रकृति और समाज का ज्ञान अपंग है। क्रिया द्वारा ही प्राकृतिक साधन खोजे जाते हैं। क्रिया द्वारा उन्हें कलापूर्ण बनाया जाता है। क्रिया द्वारा उत्पादित कलापूर्ण सामग्रियों का उपभोग समाज करता है।

सचमुच बुनियादी शिक्षा जीवन के सारे पहलुओं को घेरे हुए हैं। कोई भी शिक्षा बुनियादी उसी समय मानी जाएगी, जब वह बुनियादी शिक्षा के केन्द्रीय सिद्धान्तों के मुताबिक हो और साथ ही साथ हमारी राष्ट्रीय सभ्यता की आधाराशीला बनकर कार्य करे।

बुनियादी तालीम में स्वावलम्बन

भागचन्द्र कुमावत

बुनियादी तालीम में उद्यम या उद्योग केन्द्रित शिक्षा की बात की गई है। उद्यम का अर्थ है हाथ से कुछ काम करना, परिश्रम करना या चेष्टा करना। बच्चे शाला में जो ज्ञान अर्जित करें वह उद्यम या उद्योग के काम के माध्यम से या उनके अनुभवों से करें। अनुभव आधारित ज्ञान या शिक्षा जीवनोपयोगी होती है, शिक्षा वास्तविकता लिए हुए होती है। उद्यम या हाथ से काम करने से व्यक्ति के जीवन में स्वावलम्बन आता है। जैसे एक परिवार में घर के सभी छोटे–बड़े लोग घर पर कुछ न कुछ काम जरूर करते हैं। घर में बच्चे भी उनसे होने वाले काम को रूचि से करते हैं। जैसे घर के मामले में एक परिवार आत्म निर्भर या स्वावलम्बी होता है। इसी तरह व्यापक रूप में एक देश या राष्ट्र भी अपने मामले में स्वावलम्बी होता है या आत्म निर्भर होने का उद्यम या कोशिश करता है।

गांधी जी ने बुनियादी तालीम की योजना देश के सामने पेश की थी। उसके मूल में स्वावलम्बन का सिद्धान्त था। गांधी जी का स्वावलम्बन का यह सिद्धान्त देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश की उपज था।

यदि हम स्वावलम्बन के संकीर्ण अर्थ की दृष्टि से सोचें तो इसका अर्थ है किसी पर निर्भर नहीं होना। अपने आप में परिपूर्ण, अपने काम की जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित न रहना। इस अर्थ में सभ्यता के किसी भी काल में, किसी भी युग में कोई भी आत्म निर्भर या स्वावलम्बी नहीं था। सभी कालों में किसी न किसी बात या काम के लिए मनुष्य सदैव एक दूसरे पर निर्भर रहा है। आज भी वैश्वीकरण के इस युग में कोई भी देश या समाज या समाज की छोटी इकाई परिवार यह दावा नहीं कर सकती कि वह आत्मनिर्भर है। और न ही भविष्य में हो सकता है। लेकिन स्वावलम्बन के व्यापक अर्थ में अपने छोटे–मोटे कामों और जरूरतों के स्वप्रबन्ध को स्वावलम्बन के दायरे में ले सकते हैं। स्वावलम्बी जीवन की कल्पना इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। अपने काम खुद करना और दूसरों पर कम से कम आश्रित रहना। गांधी जी के स्वावलम्बन को इसी अर्थ या संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

स्वावलम्बन के इस सिद्धान्त में गांधी जी का पूरा बुनियादी शिक्षा का दर्शन समाहित है। यदि हम

स्वावलम्बन के सिद्धान्त की बारीकी से पड़ताल करें तो हमें विदित होगा कि उसमें सत्य, अहिंसा, शांति, सहकार, सृजन, नैतिकता आदि के वैयक्तिक व सामाजिक मूल्य गूंथे हुए है। कैसे? उदाहरण के लिए बुनियादी तालीम में बच्चे शाला में कुछ उद्यमों के काम करते हैं या सीखते हैं उसमें उन्हें समूह में काम करना पड़ता है। समूह में काम करने से सहकार व सहयोग की भावना का बीजारोपण होता है। उद्योग में उपयोगी सामग्री की रचना होती है, सृजन होता है। हाथ से काम करने में मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने से सृजन होता है और सृजन से चित्त को शांति मिलती है। सृजन में उत्पादन होता है। उत्पादन में वास्तविकता होती है और वास्तविकता में सत्य होता है। परिश्रम करने से नैतिकता आती है। मिलकर काम करने पर अहिंसा के गुण पैदा होते हैं। मेहनत से कार्य करने वाला व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। मेहनत के काम में लगे रहने से काम की कुशलता आती है। कुशलता से स्व–आजीविका चलाने की क्षमता आती है, इस क्षमता से जीवन में स्वावलम्बन आता है।

जिस तरह रोजमर्रा काम के लिए एक घर या परिवार के लोग सब मिलकर काम करते हैं। उसी तरह बुनियादी तालीम की शाला में बच्चे और शिक्षक मिलकर शाला की सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। जैसे शाला परिसर की साफ–सफाई, शौचालयों की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, शारीरिक सफाई, प्राथमिक चिकित्सा, शाला बगीचे का रख–रखाव, प्रार्थना सभा का संचालन, घंटी बजाना, पुस्तकालय चलाना और उद्योग कार्यशाला की व्यवस्था आदि का कार्य किया जाता है। इससे बच्चों को स्वावलम्बी जीवन का अभ्यास प्राप्त होता है और वे आगे चलकर अपने जीवन के रोज के खुद के कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। गांधी जी के स्वावलम्बन के सिद्धान्त में यह बात भी मुख्य रूप से अन्तर्निहित थी।

गांधी जी ने तीन स्तर पर स्वावलम्बन की बात कही है। पहला सामाजिक स्तर पर समुदाय अपने कामों में स्वावलम्बी बने। दूसरा, शिक्षा स्वावलम्बी हो अर्थात शाला अपने खर्च खुद चलाए। वह शिक्षा के खर्चे के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहे। और तीसरा विद्यार्थी अपने जीवन में स्वावलम्बी बने, दूसरों के मुखापेक्षी न रहे, भरोसे नहीं रहे। लेकिन स्वावलम्बन के इस मुद्दे पर लोगों में काफी मतभेद है। इस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा देश में शराब के राजस्व से शिक्षा को चलाना, गांधी जी को नैतिकता की दृष्टि से बिल्कुल मंजूर नहीं था। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि शिक्षा राज्य की दया पर निर्भर न रहे। समाज खुद अपने स्तर पर शिक्षा का खर्च निकालें। यदि ऐसा होता है तो उस स्कूल से समाज का गहरा नाता स्थापित होगा। दूसरी ओर यद्यपि बुनियादी शिक्षा के इतिहास में अभी तक वह पल कभी नहीं आया जिसमें शिक्षा के लिए कोई शाला आत्मनिर्भर बनी हो। फिर भी स्वावलम्बन सिद्धान्त का अपने आप में बहुत महत्व है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका सदैव महत्व रहेगा।

कुछ करें

तरू सुराणा

बुनियादी शिक्षा के सिध्दांतों को केन्द्र में रख कर लिखी गई अभ्यास पुस्तक 'कुछ करें' विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, रामगिरि, उदयपुर द्वारा इस लिहाज से प्रकाशित की गई है कि बच्चों को अपने हाथों से काम करने को मिले और उनमें समझ का विकास हो। इस कार्य पुस्तक को इस प्रकार से रचा गया है कि बच्चे खुद से काम और अपने स्तर पर उनके हल खोज सकें। इस अभ्यास पुस्तक को ''स्वयं करो देखो, और सीखो'' के उद्देश्य से बनाया गया है।

विद्यार्थियों की बौद्धिक एवं तार्किक अभिक्षमता को विकसित करने की दृष्टि से इस पुस्तक में विविध अभ्यास कार्य तथा प्रयोगों को सम्मिलित किया गया है जिनको करके विद्यार्थी अपनी स्वतः प्रस्फूटित होती जिज्ञासा का शमन कर सकते हैं। अभ्यास पुस्तक में प्रमुख रूप से सामाजिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भाषा, कहानियां, कविताएं, विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित कुछ करके सीखने का समावेश उल्लेखनीय है।

पुस्तक में विभिन्न अवधारणाओं जैसे बीजों का अंकुरण, पेड़–पौधों को विकसित होते देखना, फूलों के भाग का अध्ययन, फल का बनना, मिट्टी और पानी के प्रकार, पानी और ईंधन का उपयोग आदि का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त खाने में पोषक तत्वों की जानकारी, गन्ने से शक्कर बनाने की प्रक्रिया, कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया, आदि विषयों पर विविधि अभ्यास तैयार किए गए हैं। गणित में क्षेत्रफल, प्रतिशत, ब्याज, ग्राफ को समझना और पढ़ना, टेनग्राम, सममिती, आदि पर करके सीखने की गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं। इस कार्य पुस्तक में यातायात संबंधी नियमों और पर्यावरण सुरक्षा पर भी विद्यार्थियों की समझ और जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

अभ्यास पुस्तक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मात्र किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि अपने हाथों से कुछ काम करके ज्ञान अर्जित करना है। विद्यार्थियों को कक्षा तक सीमित न रखकर कक्षा के बाहर जा कर आसपास के वातावरण को समझना, सामग्री ढूंढना, उनका अवलोकन करना, उनके बारे में अपनी समझ विकसित करना और तत्पश्चात् अभ्यास कार्य पूर्ण करना, यही पुस्तक का केन्द्र बिन्दु है।

यह एक सत्यतापूर्ण तथ्य भी है कि यदि विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखेगा तो उसकी समझ भी अच्छी होगी और अवधारणा स्पष्ट होगी। समूह में कार्य करने से विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग की भावना भी विकसित होगी।

'कुछ करें' अभ्यास पुस्तक अकादमिक वातावरण में रचनात्मकता को जन्म देने का एक प्रयास है। संभवतः इस पुस्तक द्वारा विद्यार्थियों में अवलोकन क्षमता का विकास होगा, वे स्वाभाविक अभिव्यक्ति कर पाएंगे और उनमें सृजनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा।

फोटो फीचर

गूजरात विद्यापीठ अहमदाबाद द्वारा 20–22 दिसंबर 2006 को **नई तालीम : समीक्षा और सशक्तीकरण** पर आयोजित सेमीनार की चंद तस्वीरें

ज्ञान का निर्माण

(विद्या भवन सोसायटी द्वारा आयोजित सेमीनार में पढ़े गए पर्चों और चर्चाओं का दस्तावेज़)

अब हिन्दी में भी

ज्ञान के निर्माण को लेकर विचारों का संग्रहणीय दस्तावेज।

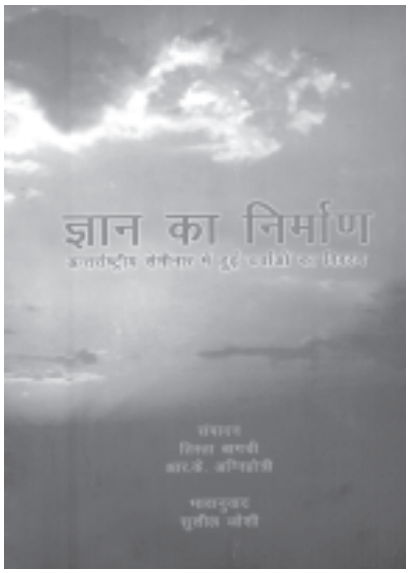

संपादन

प्रो. तिस्ता बागची एवं प्रो. आर.के. अग्निहोत्री

सहयोग राशि : एक सौ रुपए (डाक खर्च सहित)

अपनी प्रति जल्द ही बुक करें।

कृपया सहयोग राशि ड्राफ्ट या मनिआर्डर से भिजवाएं।

(ड्राफ्ट विद्या भवन सोसायटी के नाम से बनवाएं)

सम्पर्क करें

विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र

फतहपुरा, मोहनसिंह मेहता मार्ग, उदयपुर (राज.) 313 004

फोन : 0294–2451497

email : vbsudr@yahoo.com

''**बुनियादी शिक्षा : एक नई कोशिश**'' विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर एवं गूजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड़, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।